



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221024
CG-DL-E-08082020-221024

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2334]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942

No. 2334]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

का.आ. 2633(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2682 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुन्नाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 जुलाई, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पण्डारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुन्नावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के पुणे, ठाणे और रायगढ़ जिलों में स्थित है;

और, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य को महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू एल पी.1045/सी.आर.588/(II)/एफ-5, दिनांक 16 सितंबर, 1985 के द्वारा 130.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है;

और, उक्त अभ्यारण्य पक्षी-जीव के लिए जाना जाता है जिसमें भारतीय झबरा, छोटा जलकौआ, छोटा इग्रेट, भारतीय बगुला, एशियन ओपनबिल, ब्लैक विंगट काइट, ब्राह्मणी काइट शिकारा, रेड वाटलेंड टिटहरी, सामान्य सेंडपाइपर, चित्तीदार कबूतर, आदि सहित पक्षी प्रजातियां हैं;

और, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य में बहुत अधिक जीवजंतुओं और वनस्पति की विविधता है साथ में स्तनधारियों की लगभग 22 प्रजातियाँ, सरीसृपों की लगभग 25 प्रजातियाँ, और उभयचरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं; जबकि इस क्षेत्र की वनस्पति का प्रतिनिधित्व “8ए/सी2 पश्चिमी उप-उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन” करते हैं जिसमें ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं नेवला (मैगीफेरा इंडिका), जाम्बुल (शिजिगियम कुम्मिनी), पिसा (एक्टिनोडाफन हूकर), शिशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया), अनजनी (मेमेसिक्लोन), बेहड़ (टर्मिनलिया बेलेरिका), ऐन (टर्मिनलिया टोमेन्टोसा), मोहा (मधुका इंडिका), पलास (बुटेया मोनोस्पर्मा), पंगरा (एरीश्रीना वरिइगाटा), खैर (अकैशिया कटेचु), काकड़ (गरुगा पिन्नाटा), शिशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया), टीवास (ओजिइनिया ओयनेसिस) आदि के अतिरिक्त वृक्ष और करवांद (कर्रिस्सा करांडूस), करमती (ग्रेविया विल्लोसा), धायती (बूडफोरदीया फ्रूटीकोसा), करवी (करविया कल्लोसा), निरगुडी (विटेक्स नेगुंडो), अदूल्सा (अधाटोडा वासिका) आदि के अलावा झाड़ी और घास सम्मिलित हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र महत्वपूर्ण वन्यजीवों जैसे तेंदुआ, बनविलार, छोटा भारतीय मुसंग, धारीदार लकड़बग्धा, मुंजक, पश्चिमी हनुमान लंगूर, सामान्य ग्रे नेवला, आदि का भी आश्रय प्रदान करता है;

और, यह अभयारण्य मानव वस्तियों और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अति निकट होने से अभयारण्य के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने और ऐसे क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है;

और, इस अभयारण्य के वन वर्षा को अवरुद्ध करके भूजल जलभूत को पुनर्भरण में सहायता करते हैं और मिट्टी के कटाव को कम करके नदियों और धाराओं की सुरक्षा करते हैं और अभयारण्य में कई धाराओं का अच्छा नेटवर्क बना हुआ है जो पूरे अभयारण्य में फैली हुई है, लगभग सभी धाराएं मौसमी प्रकृति की हैं; इनसे भीमा नदी बनती है, जो कि प्रमुख बांध चक्स्कामन में जाती है, जबकि धोड़ नदी और बूबारा नदी में प्रमुख बांध है, जिसका बाबू गेनू जलाशय नाम दिम्भा बांध है;

और, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा और (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के पुणे, ठाणे और रायगढ़ जिला के भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 101.62 वर्ग किलोमीटर है। राज्य द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पचास (50) मीटर न्यूनतम उचित है:-

(क) संरक्षित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाटों का एक उच्च अखंड श्रेणी है जो उत्तर दक्षिण दिशा में गुजरते हुए बसाल्टिक लावा से बना है। यह कोंकण क्षेत्र में पश्चिम की ओर खड़ी ढलान/ गहरी चट्टानें और घाटियाँ सम्मिलित हैं। यह चट्टाने भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी और उत्तरी भाग पर प्राकृतिक अवरोधक/बफर के रूप में कार्य करती है।

(ख) वन रिपोर्ट 2017 की स्थिति के अनुसार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन (50 मीटर से अधिक) में सम्मिलित क्षेत्र ज्यादातर खुले वन श्रेणी (0.4 से कम के घनत्व के साथ) में आते हैं। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की प्रमुख प्रजाति भारतीय जैनट गिलहरी है जो निरंतर कैनोपी आवरण के साथ परिवक्त्र और विविध वन पर निर्भर गिलहरी वास है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 50 मीटर से अधिक क्षेत्र मुख्यतः खुला वन है जिसमें बहुत कम निरंतर कैनोपी आवरण है।

(2) भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकित होते हुए भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक और उपाबंध-IIख के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय वातांकों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपराऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यक्तन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.— (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित हैं; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा।-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.**- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.**- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची।- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	<p>(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बहुत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाईयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी;</p> <p>(ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।</p>
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।</p>
3.	बहुत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नए अतिक्रमण और वन भूमि पर उनका नियमानुकूल।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे 13 दिसम्बर, के बाद प्रतिषिद्ध होगा।

आ. विनियमित क्रियाकलाप			
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।</p>	
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:-</p> <p>परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>	
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।	
12.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।</p>	
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।	
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के विछाएं जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के विछाएं जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।	

15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जौन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुर्घटशाला, दुर्घट उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
21.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुकुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्भाव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्भाव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्भाव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	पवन चक्रियां और टरबाइन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
32.	सिंचाई विभाग द्वारा जलमग्न क्षेत्र से बाहर जाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स. (1)	मानीटरी समिति का गठन (2)	पद (3)
(i)	जिला कलेक्टर, पुणे	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	कलेक्टर ठाणे / रायगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव), पुणे या उनके प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	उप वन संरक्षक, रायगढ़ / ठाणे या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य;
(v)	नगर नियोजन कार्यालय ठाणे / रायगढ़ / पुणे के प्रतिनिधि)	सदस्य;
(vi)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य;
(vii)	प्रतिष्ठित संस्थान या किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
(viii)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, जुन्नार	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राथिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्धारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रपत्र में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/97/2015-ईएसजे-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- ।

महाराष्ट्र राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी जोन और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा का विवरण

क्र. सं	ग्राम	वन गट सं.	निजी गट सं.	सीमाएं			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2		4	5	6	7	8
1	फागुल गवहन	105	--	घाटघर की ग्राम सीमा	गट सं. 90,91,92,98, 99,101,103,106, 107,111,91 से 26, खदकुम्बे,पुर की ग्राम सीमा	अम्बोली की ग्राम सीमा	पालु की ग्राम सीमा
		106	--	गट सं. 69	गट सं. 105	गट सं. 105	गट सं. 102,103

2	अम्बोली	515	--	फागुल गवहन की ग्राम सीमा	सिरोली टी कुकादनेर की ग्राम सीमा	गट सं. 269, 270, 272, 275 , 278,280 से 283, 285 से 287, 290 से 295,459 से 469,478 से 490, 500 से 506, 514, 513, 516, 517, 518	भिवदे बीआर और रामपुर की ग्राम सीमा
3	भीवदे बीके	196	--	पालु की ग्राम सीमा	अम्बोली की ग्राम सीमा	गट सं. 215,207,206, 89,193, 194,195,190, 184,187, 177,176,175.	हतवीज और भीवदे खह की ग्राम सीमा
		176	--	गट सं. 196,	गट सं. 177	गट सं. 175	गट सं. 196
		177	--	गट सं. 169	गट सं. 184,183,182,181, 178	गट सं. 175	गट सं. 196
		195	--	गट सं. 196	गट सं. 193,194	गट सं. 190 ,196	गट सं. 196
		89	--	गट सं. 196,	गट सं. 206,208	गट सं. 88, 87, 90, 93, 94, 95	गट सं. 184,185,191
		206	--	गट सं. 196	गट सं. 207	गट सं. 208	गट सं. 89,196
		207		गट सं. 196	गट सं. 215	गट सं. 208	गट सं. 206
		208	---	गट सं. 206, 207	गट सं. 215, 212, 211	गट सं. 210 209, 59, 60, 87, 88	गट सं. 89
		209	--	गट सं. 208	गट सं. 210	गट सं. 59	गट सं. 208
		214	--	गट सं. 208	गट सं. 215, 216	गट सं. 210	गट सं. 213,211,212
		215	--	अम्बोली की ग्राम सीमा	गट सं. 221	गट सं. 220, 216, 214, 208	गट सं. 207,196
		216	--	गट सं. 215	गट सं. 215	गट सं. 217 से 220	गट सं. 210,214
		--	197	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196
		--	198	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196 निजी गट सं. 199	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196

		--	199	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196 निजी गट सं. 200	निजी गट सं. 198	आर एफ. गट सं. 196
		--	200	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट सं. 202, 201	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट सं. 199
		--	202	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट सं. 203	निजी गट सं. 201	निजी गट सं. 200
		--	203	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट सं. 204	निजी गट सं. 201	निजी गट सं. 202
		--	204	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट सं. 205	निजी गट सं. 201	निजी गट सं. 199
		--	205	आर एफ. गट सं. 196	आर एफ. गट सं. 196	निजी गट सं. 201	निजी गट सं. 203
4	हतविज	236	--	गट सं. 241, 242, 246	गट सं. 229, 230, 231, 235, 234, 233, 224, 213, 206, 207, 209, 152, 295, 212	दोन की ग्राम सीमा गट सं. 237, 240	मद की ग्राम सीमा
		337	--	भीवदे बक की ग्राम सीमा	गट सं. 294, 293, 292, 281, 279 से 284, 335, 336,	गट सं. 251, 252, 267, 268, 270, 278, 338, 341, 65, 66, 71, 73, 77	मद की ग्राम सीमा
		296	--	भीवदे बक की ग्राम सीमा	भीवदे खह की ग्राम सीमा	गट सं. 294, 297, 298, 300, 301, 305.	गट सं. 337
		--	237	आर एफ. गट सं. 236	आर एफ. गट सं. 236	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 204
		--	238	आर एफ. गट सं. 236	निजी गट सं. 237	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 238
		--	239	आर एफ. गट सं. 236	निजी गट सं. 238	दोन की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 239
		--	240	आर एफ. गट सं. 236	निजी गट सं. 239	दोन की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 236
5	भीवदे खह	462	--	की ग्राम सीमा भीवदे बी आर	गट सं. 662, 664, 465, 466, 471, 472, 473, 461	अम्बे की ग्राम सीमा	हतविज की ग्राम सीमा

6.	दोन	61	--	हतविज की ग्राम सीमा	गट सं. 74,73,	गट सं. 62,60,59,	पिम्पारधाने की ग्राम सीमा
		56	--	गट सं. 57	गट सं. 55	गट सं. 58	गट सं. 58
		--	57	निजी गट सं. 60	निजी गट सं. 64,65,66	आर एफ. गट सं. 56	निजी गट सं. 58,59
		--	58	निजी गट सं. 60	निजी गट सं. 57, आर एफ. गट सं. 56	आर एफ. गट सं. 8 और अघान की ग्राम सीमा	पिम्पारधाने की ग्राम सीमा
		--	59	आर एफ. गट सं. 61 और निजी गट सं. 60	निजी गट सं. 60, 58	पिम्पारधाने की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 61
		--	60	आर एफ. गट सं. 61	निजी गट सं. 62, 63, 64	निजी गट सं. 57, 59, 58	आर एफ. गट सं. 61
7.	अघान	18	--	दोने की ग्राम सीमा	दोने की ग्राम सीमा	गट सं. 30, 21, 20	पिम्पारधाने की ग्राम सीमा
		16	--	गट सं. 17, 10	गट सं. 9, 8, 11	गट सं. 15, 14, 73	पिम्पारधाने की ग्राम सीमा
		51	--	पिम्पारधा ने की ग्राम सीमा	गट सं. 71, 70, 69, 60, 52, 56, 55, 54, 53, 52, 47, 48, 49, 50	नहावेद की ग्राम सीमा	पिम्पारधाने की ग्राम सीमा
		--	17	पिम्पारधा ने की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 8	आर एफ. गट सं. 5 और निजी गट सं. 10	आर एफ. गट सं. 5 और पिम्पारधाने की ग्राम सीमा
		--	71	पिम्पारधा ने की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 72	निजी गट सं. 36, 70	निजी गट सं. 69, आर एफ. गट सं. 36
		--	72	पिम्पारधा ने की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 73,74	निजी गट सं. 36	निजी गट सं. 71
		--	73	पिम्पारधा ने की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 5, निजी गट सं. 14	निजी गट सं. 74	निजी गट सं. 72
8.	नहावेद	73	--	गट सं. 74 से 80, 66 से 69, 47	पटान की ग्राम सीमा	गट सं. 70 से 72	सकेरी की ग्राम सीमा
		105	--	गट सं. 101 से 104	गट सं. 74	सकेरी की ग्राम सीमा	गट सं. 107
		161	--	पिम्पारधा ने की ग्राम सीमा	गट सं. 162,163 165, 134, 136, 135, 142, 110, 109,108	गट सं. 160	अहुपे की ग्राम सीमा गट सं. 143, 144, 156, 158, 159, 160,

		191	--	अधान और दोन की ग्राम सीमा	तिरपाड़ की ग्राम सीमा गट सं. 192 से 198	गट सं. 201, 187, 190, 189, 188, 179, 173, 172, 171, 167, 166.	गट सं. 164, 165
		--	160	पिम्पारवा ने की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट सं. 159
		--	159	अहुपे की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 160	निजी गट सं. 158	आर एफ. गट सं. 155
		--	154	निजी गट सं. 156	निजी गट सं. 145, 152, 153	अहुपे की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 155
		--	145	निजी गट सं. 156 और आर एफ. गट सं. 161	निजी गट सं. 144, 143.	निजी गट सं. 146, 147	निजी गट सं. 154, 152, 153.
		--	143	आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161	अहुपे की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
		--	144	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 145	निजी गट सं. 145
		--	152	निजी गट सं. 145	निजी गट सं. 146, 151.	अहुपे की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 153
		--	153	निजी गट सं. 145	निजी गट सं. 152	अहुपे की ग्राम सीमा	अहुपे की ग्राम सीमा और निजी गट सं. 154
		--	156	निजी गट सं. 158 और आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट सं. 144, 145, 154.	आर एफ. गट सं. 155 और निजी गट सं. 157
		--	157	निजी गट सं. 158	निजी गट सं. 158, 156	आर एफ. गट सं. 155	आर एफ. गट सं. 155
		--	158	निजी गट सं. 159	आर एफ. गट सं. 161	निजी गट सं. 146, 145	आर एफ. गट सं. 155 और निजी गट सं. 157
		--	146	निजी गट सं. 145	निजी गट सं. 147, 148, 149.	निजी गट सं. 150, 151.	निजी गट सं. 152
		--	147	निजी गट सं. 145	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 148	निजी गट सं. 146
		--	148	निजी गट सं. 147	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 149	निजी गट सं. 146
		--	106	निजी गट सं. 107	निजी गट सं. 107	निजी गट सं. 107	निजी गट सं. 107

	--	107	आर एफ. गट सं. 161 और निजी गट सं. 108	आर एफ. गट सं. 105	सकेरी की ग्राम सीमा	अहुपे और सकेरी की ग्राम सीमा
	--	74	निजी गट सं. 101, 75	निजी गट सं. 75 और आर एफ. गट सं. 73	सकेरी की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 105
	--	47	निजी गट सं. 41	निजी गट सं. 43, 44, 45, 46 और आर एफ. गट सं. 73	आर एफ. गट सं. 73 और निजी गट सं. 68	निजी गट सं. 48, 55, 56, 57, 59.
	--	46	निजी गट सं. 45	पटान की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 73	निजी गट सं. 47
	--	45	निजी गट सं. 44	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 46	निजी गट सं. 47
	--	43	निजी गट सं. 41	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 44	निजी गट सं. 47
	--	41	निजी गट सं. 34	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 43	निजी गट सं. 48
	--	34	निजी गट सं. 35	निजी गट सं. 32, 33	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 39, 41.
	--	33	निजी गट सं. 27	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 34	निजी गट सं. 32
	--	27	निजी गट सं. 208, 209.	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 33	निजी गट सं. 32, 26, 28.
	--	208	निजी गट सं. 207	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 27	निजी गट सं. 209, 210, 211
	--	209	निजी गट सं. 210	निजी गट सं. 208	निजी गट सं. 27	निजी गट सं. 26
	--	210	निजी गट सं. 211	निजी गट सं. 208	निजी गट सं. 209	निजी गट सं. 213
	--	207	निजी गट सं. 206	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 208	निजी गट सं. 211
	--	206	निजी गट सं. 204, 205	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 207	निजी गट सं. 211, 203
	--	205	निजी गट सं. 204	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 206	निजी गट सं. 204, 206
	--	204	निजी गट सं. 200	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 205, 206.	निजी गट सं. 201, 202, 203, 211.
	--	200	आर एफ. गट सं. 191	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 204	निजी गट सं. 201
	--	198	निजी गट सं. 197	पटान की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 191	आर एफ. गट सं. 191

		--	197	निजी गट सं. 196, 195	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 198	आर एफ. गट सं. 191
		--	196	निजी गट सं. 193, 194	निजी गट सं. 195 और पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 197	निजी गट सं. 192
		--	195	आर एफ. गट सं. 191	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 197	निजी गट सं. 196, 194,
		--	70	आर एफ. गट सं. 73	आर एफ. गट सं. 73	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 71
		--	71	आर एफ. गट सं. 73	निजी गट सं. 70	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 72
		--	72	आर एफ. गट सं. 73	निजी गट सं. 71	सकेरी की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 73
		--	162	अधान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 163	आर एफ. गट सं. 161	आर एफ. गट सं. 161
		--	149	निजी गट सं. 148	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 150	निजी गट सं. 146, 151.
		--	150	निजी गट सं. 149	निजी गट सं. 143	अहुपे की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 151.
		--	199	निजी गट सं. 198	पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 200	आर एफ. गट सं. 191
9	तिरपाड़	41	--	दोन की ग्राम सीमा	गट सं. 51 से 54, 103 से 110	गट सं. 30 से 40, 26, 259, 260,	पटान और नाहवेद की ग्राम सीमा
		--	36	निजी गट सं. 37	आर एफ. गट सं. 41.	निजी गट सं. 33	आर एफ. गट सं. 41.
		--	37	निजी गट सं. 38	आर एफ. गट सं. 41.	निजी गट सं. 36	आर एफ. गट सं. 41.
		--	38	निजी गट सं. 39	आर एफ. गट सं. 41.	निजी गट सं. 37	आर एफ. गट सं. 41.
		--	39	निजी गट सं. 40	आर एफ. गट सं. 41.	निजी गट सं. 38	आर एफ. गट सं. 41.
		--	40	आर एफ. गट सं. 41.	आर एफ. गट सं. 41.	निजी गट सं. 39	आर एफ. गट सं. 41.
10	नानावाडे	108	--	गट सं. 112 से 114	गट सं. 107, 29	गट सं. 28, 109 से 111	पटान की ग्राम सीमा
		125	--	गट सं. 129,	गट सं. 126, 97, 98,	गट सं. 101, 102, 124, 121, 117.	पटान की ग्राम सीमा
		126	--	गट सं. 227	गट सं. 221 से 223	गट सं. 224	गट सं. 225
		--	257	निजी गट सं. 258	आर एफ. गट सं. 262	निजी गट सं. 256	पटान की ग्राम सीमा
		--	258	निजी गट सं. 261	आर एफ. गट सं. 262	निजी गट सं. 257	पटान की ग्राम सीमा

		--	259	तिरपाड की ग्राम सीमा	तिरपाड की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 260	पटान की ग्राम सीमा
		--	260	तिरपाड की ग्राम सीमा	तिरपाड की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 261, 258.	पटान की ग्राम सीमा
		--	261	निजी गट सं. 260	तिरपाड की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 258 और आर एफ. गट सं. 262	निजी गट सं. 257
		--	251	निजी गट सं. 250	निजी गट सं. 248, 247.	निजी गट सं. 232	निजी गट सं. 252, 253, 254.
		--	252	निजी गट सं. 253	निजी गट सं. 251	निजी गट सं. 232	पटान की ग्राम सीमा
		--	253	निजी गट सं. 254	निजी गट सं. 250, 251.	निजी गट सं. 252	पटान की ग्राम सीमा
		--	254	निजी गट सं. 255	निजी गट सं. 250	निजी गट सं. 253	पटान की ग्राम सीमा
		--	255	निजी गट सं. 256	आर एफ. गट सं. 162	निजी गट सं. 268, 269, 249, 250, 254.	पटान की ग्राम सीमा
		--	256	निजी गट सं. 257	आर एफ. गट सं. 162	निजी गट सं. 255	पटान की ग्राम सीमा
		--	229	निजी गट सं. 230	निजी गट सं. 233	निजी गट सं. 228	पटान की ग्राम सीमा
		--	230	निजी गट सं. 231	निजी गट सं. 233	निजी गट सं. 229	पटान की ग्राम सीमा
		--	231	निजी गट सं. 232	निजी गट सं. 233	निजी गट सं. 230	पटान की ग्राम सीमा
		--	232	निजी गट सं. 252, 251	निजी गट सं. 233, 247.	निजी गट सं. 231	पटान की ग्राम सीमा
		--	233	निजी गट सं. 247.	निजी गट सं. 237, 238, 241, 235.	निजी गट सं. 227	निजी गट सं. 228, 229, 230, 231, 232.
		--	110	आर एफ. गट सं. 108	निजी गट सं. 109	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 111
		--	111	आर एफ. गट सं. 108	निजी गट सं. 110	सकेरी की ग्राम सीमा	सकेरी और पटान की ग्राम सीमा
		--	112	निजी गट सं. 113 और पटान की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 113	आर एफ. गट सं. 108	पटान की ग्राम सीमा
		--	113	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 115, 114.	आर एफ. गट सं. 108	निजी गट सं. 112

		--	114	निजी गट सं. 115	निजी गट सं. 107	आर एफ. गट सं. 108	निजी गट सं. 113
		--	115	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 116, 107	निजी गट सं. 114	निजी गट सं. 113, 117.
		--	116	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 107	निजी गट सं. 115	निजी गट सं. 115
		--	117	आर एफ. गट सं. 125 और की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 118 और आर एफ. गट सं. 125	निजी गट सं. 106, 107, 115, 116, 112, 113.	पटान की ग्राम सीमा
		--	129	निजी गट सं. 130	निजी गट सं. 128, 127.	आर एफ. गट सं. 125	पटान की ग्राम सीमा
		--	130	निजी गट सं. 138	निजी गट सं. 131, 128	निजी गट सं. 129	पटान की ग्राम सीमा
		--	131	निजी गट सं. 138	निजी गट सं. 137, 136, 132.	निजी गट सं. 128	निजी गट सं. 130
		--	137	निजी गट सं. 139	निजी गट सं. 141, 142, 136.	निजी गट सं. 131, 132.	निजी गट सं. 131
		--	138	निजी गट सं. 224	निजी गट सं. 139.	निजी गट सं. 131, 137.	पटान की ग्राम सीमा
		--	139	निजी गट सं. 224	निजी गट सं. 140, 141.	निजी गट सं. 137.	निजी गट सं. 138
		--	224	निजी गट सं. 225, 226.	आर एफ. गट सं. 220 और निजी गट सं. 222	निजी गट सं. 138, 139, 140.	पटान की ग्राम सीमा
		--	225	निजी गट सं. 227	निजी गट सं. 226	निजी गट सं. 224	पटान की ग्राम सीमा
		--	226	निजी गट सं. 227	निजी गट सं. 227	निजी गट सं. 224	निजी गट सं. 225
		--	227	निजी गट सं. 233	निजी गट सं. 235, 234 और आर एफ. गट सं. 220	निजी गट सं. 224, 225, 226.	निजी गट सं. 224 और पटान की ग्राम सीमा
		--	228	निजी गट सं. 229	निजी गट सं. 233	निजी गट सं. 227	पटान की ग्राम सीमा
		--	109	आर एफ. गट सं. 108	महालुंगे तरफ अम्बेगांव की ग्राम सीमा	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 110.
11	महालुंगे तरफ अम्बेगांव	--	21	निजी गट सं. 26	निजी गट सं. 20, 30	निजी गट सं. 22	निजी गट सं. 24, 25
		--	22	निजी गट सं. 21, 20.	निजी गट सं. 19	निजी गट सं. 23	निजी गट सं. 24
		--	23	निजी गट सं. 22	निजी गट सं. 19	सकेरी और फलोद की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 24

		--	24	निजी गट सं. 25	निजी गट सं. 21, 22, 23.	फलोद की ग्राम सीमा	सकेरी की ग्राम सीमा
		--	25	निजी गट सं. 26	निजी गट सं. 21	निजी गट सं. 24	सकेरी की ग्राम सीमा
		--	26	निजी गट सं. 28	निजी गट सं. 28	निजी गट सं. 21, 25.	सकेरी की ग्राम सीमा और निजी गट सं. 27
		--	27	निजी गट सं. 28	निजी गट सं. 26	सकेरी की ग्राम सीमा	नानावाडे की ग्राम सीमा
12	पिम्परी	105	--	सकेरी की ग्राम सीमा गट सं. 103, 104, 106, 108 से 112	गट सं. 52, 77, 74, 83 से 93, 80, 82,	नानावाडे तेरुंगन की ग्राम सीमा गट सं. 96 से 102	कोनधावल की ग्राम सीमा
		100	--	गट सं. 96,	गट सं. 97	तेरुंगन की ग्राम सीमा	गट सं. 101, 102
		--	106	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 108	आर एफ. गट सं. 105	आर एफ. गट सं. 105
		--	107	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 108	निजी गट सं. 106	निजी गट सं. 106
		--	108	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 109	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट सं. 106, 107
		--	109	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 110	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट सं. 108
		--	110	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 111	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट सं. 109
		--	111	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 112	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट सं. 110
		--	112	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 113, 114.	आर एफ. गट सं. 105	निजी गट सं. 111
		--	113	निजी गट सं. 114, 115, 118.	निजी गट सं. 119	निजी गट सं. 52	आर एफ. गट सं. 105 और निजी गट सं. 112
		--	114	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 113	निजी गट सं. 112
		--	115	निजी गट सं. 114	निजी गट सं. 116, 117	निजी गट सं. 118	निजी गट सं. 113
		--	116	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 115	निजी गट सं. 117
		--	117	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 119	निजी गट सं. 118, 115	निजी गट सं. 114
		--	118	निजी गट सं. 117	निजी गट सं. 119	निजी गट सं. 113	निजी गट सं. 115
		--	119	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 120	निजी गट सं. 52	निजी गट सं. 113, 118, 117.

		--	120	निजी गट सं. 113	निजी गट सं. 121	निजी गट सं. 52	निजी गट सं. 119
		--	121	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 42 और आर एफ. गट सं. 122	निजी गट सं. 46, 47, 45, 49, 50.	निजी गट सं. 120, 52.
		--	123	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 124, 129	आर एफ. गट सं. 122	सकेरी की ग्राम सीमा
		--	124	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 126, 127	निजी गट सं. 125, 129.	निजी गट सं. 123
		--	125	निजी गट सं. 124	निजी गट सं. 127	निजी गट सं. 129	निजी गट सं. 129
		--	126	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 128	निजी गट सं. 127	निजी गट सं. 124
		--	127	निजी गट सं. 126	निजी गट सं. 128	निजी गट सं. 125	निजी गट सं. 124
		--	128	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 130	निजी गट सं. 129	निजी गट सं. 126, 127.
		--	133	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 121	निजी गट सं. 120	निजी गट सं. 119
		--	101	निजी गट सं. 102	आर एफ. गट सं. 100	तेरुंगन की ग्राम सीमा	कोनधावल की ग्राम सीमा
		--	102	सकेरी की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 105, 100	निजी गट सं. 101	कोनधावल की ग्राम सीमा
		--	103	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 104	आर एफ. गट सं. 105	कोनधावल की ग्राम सीमा
		--	104	सकेरी की ग्राम सीमा	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 105	निजी गट सं. 103
		--	1	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 3	निजी गट सं. 2	गौथान और निजी गट सं. 130
		--	2	निजी गट सं. 1	निजी गट सं. 3, 4	निजी गट सं. 4	गौथान
		--	3	सकेरी की ग्राम सीमा	सकेरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 4	निजी गट सं. 1, 2.
		--	5	सकेरी की ग्राम सीमा	फलोद की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 6, 7.	निजी गट सं. 4.
13	तेरुंगांन	31	--	पिम्पारी की ग्राम सीमा गट सं. 54	राजपुर की ग्राम सीमा गट सं. 18 से 21, 23, से 26	निगदाले की ग्राम सीमा गट सं. 28,30,31	कोनधावल की ग्राम सीमा गट सं. 33 से 39, 43,44, 47, 48, 50, 29, 12, 15,16, 9,8, 56, 57, 58,53,13, 51,52,
		--	27	निजी गट सं. 28	निजी गट सं. 26	राजपुर की ग्राम सीमा और भिवेगांव की ग्राम सीमा	धागेवाडी की ग्राम सीमा

		--	28	आर एफ. गट सं. 31	निजी गट सं. 26	निजी गट सं. 27	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	30	आर एफ. गट सं. 31	आर एफ. गट सं. 31	धारेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 29
		--	29	आर एफ. गट सं. 31	निजी गट सं. 30	धारेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 32 और आर एफ. गट सं. 31
		--	32	निजी गट सं. 35	निजी गट सं. 33 और आर एफ. गट सं. 31	धारेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 36
		--	33	आर एफ. गट सं. 31	निजी गट सं. 34	आर एफ. गट सं. 31 और निजी गट सं. 32	निजी गट सं. 35
		--	36	निजी गट सं. 37	निजी गट सं. 35 और आर एफ. गट सं. 31	निजी गट सं. 32	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	37	निजी गट सं. 39	निजी गट सं. 38	निजी गट सं. 36	निजी गट सं. 40
		--	40	निजी गट सं. 41	निजी गट सं. 39, 37.	धारेवाडी की ग्राम सीमा	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	41	निजी गट सं. 42	निजी गट सं. 39	निजी गट सं. 40	धारेवाडी की ग्राम सीमा और कोनधावेल की ग्राम सीमा
		--	42	निजी गट सं. 44, 45.	निजी गट सं. 43	निजी गट सं. 39, 41	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	45	निजी गट सं. 46	निजी गट सं. 47, 44	निजी गट सं. 42	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	46	निजी गट सं. 49	निजी गट सं. 47, 48.	निजी गट सं. 44, 45	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	49	निजी गट सं. 52, 51.	निजी गट सं. 48, 50	निजी गट सं. 46	धारेवाडी की ग्राम सीमा
		--	52	आर एफ. गट सं. 31	निजी गट सं. 51	निजी गट सं. 49	धारेवाडी की ग्राम सीमा
14	भिवेगांव	66	---	राजपुर की ग्राम सीमा गट सं. 36 से 61.	करकुड़ी और टोकावदे की ग्राम सीमा गट सं. 63 से 65	गट सं. 111, 109, 102, 101, 99, 98, 97, 95, 94, 93, 67 से 78, 14, 18 से 27, 31, 32,	भोरगिरी की ग्राम सीमा
		--	60	आर एफ. गट सं. 66	निजी गट सं. 61	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66
		--	61	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66 और निजी गट सं. 60
		--	62	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66

	--	33	आर एफ. गट सं. 66	निजी गट सं. 34	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66
	--	34	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	निजी गट सं. 33
	--	35	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66	आर एफ. गट सं. 66
	--	37	धागेवाडी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 38	आर एफ. गट सं. 66 और निजी गट सं. 36	आर एफ. गट सं. 66
	--	38	धागेवाडी की ग्राम सीमा से तेरुंगन की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 41	आर एफ. गट सं. 66 और निजी गट सं. 39, 40.	निजी गट सं. 37
	--	41	तेरुंगन की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 42	आर एफ. गट सं. 66 और निजी गट सं. 40.	निजी गट सं. 38
	--	32	आर एफ. गट सं. 66	निजी गट सं. 31	निजी गट सं. 154, 156.	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	154	निजी गट सं. 32	निजी गट सं. 153, 155, 156.	निजी गट सं. 152	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	152	निजी गट सं. 154	निजी गट सं. 147, 149, 151, 153.	निजी गट सं. 145, 143, 142.	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	142	निजी गट सं. 152	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 141	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	141	निजी गट सं. 142	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 140	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	140	निजी गट सं. 141	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 135, 136, 137, 138, 139.	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	135	निजी गट सं. 140	निजी गट सं. 134	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 136
	--	136	निजी गट सं. 140	निजी गट सं. 135	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 137
	--	137	निजी गट सं. 140	निजी गट सं. 136	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 138
	--	138	निजी गट सं. 140	निजी गट सं. 137	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 139
	--	139	निजी गट सं. 140	निजी गट सं. 138	भोरगिरी की ग्राम सीमा	भोरगिरी की ग्राम सीमा
	--	134	निजी गट सं. 143	निजी गट सं. 133	भोरगिरी की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 135
	--	133	निजी गट सं. 118, 119.	निजी गट सं. 120	भोरगिरी निजी गट सं. 130, 132.	भोरगिरी की ग्राम सीमा और भोमेल की ग्राम सीमा

		--	143	निजी गट सं. 152.	निजी गट सं. 144, 145.	निजी गट सं. 134	निजी गट सं. 140, 141, 142.
15	भोमेल	91	--	गट सं. 119 से 123, 127, 128, 130, 133, 134, 135,	पाभेइ की ग्राम सीमा गट सं. 148, 146, 145, 161 से 166, 12, 13, 157, 158, 159, 150, 151, 153, 78 से 80, 82 से 90, 74, 75,	खरपुड की ग्राम सीमा	जम्बरुंग की ग्राम सीमा गट सं. 93 से 104,
		53	--	गट सं. 73, 74, 75, 54 से 60, 16 से 19, 28 से 32,	पाभेइ की ग्राम सीमा 33, 34, 36, 42, 43, 47, से 49	खरपुड की ग्राम सीमा गट सं. 50, 52, 57.	गट सं. 74
		124	--	भोरगिरी की ग्राम सीमा	गट सं. 123, 125,	गट सं. 120 से 122	भोमेल की ग्राम सीमा
		--	50	आर एफ. गट सं. 53	आर एफ. गट सं. 53	खरपुड की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 53
		--	51	आर एफ. गट सं. 53	आर एफ. गट सं. 53	खरपुड की ग्राम सीमा	आर एफ. गट सं. 53
		--	52	आर एफ. गट सं. 53	आर एफ. गट सं. 53	आर एफ. गट सं. 53	आर एफ. गट सं. 53
		--	119	निजी गट सं. 120	आर एफ. गट सं. 91	भोरगिरी की ग्राम सीमा और आर एफ. गट सं. 91	भोरगिरी की ग्राम सीमा
		--	120	निजी गट सं. 121	आर एफ. गट सं. 91	निजी गट सं. 119	आर एफ. गट सं. 124 और भोरगिरी की ग्राम सीमा
		--	121	निजी गट सं. 122	आर एफ. गट सं. 91	निजी गट सं. 120	आर एफ. गट सं. 124
		--	122	निजी गट सं. 123	आर एफ. गट सं. 91	निजी गट सं. 121	आर एफ. गट सं. 124
		--	123	निजी गट सं. 125	निजी गट सं. 127	निजी गट सं. 123 और आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 124
		--	129	आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 91
		--	149	आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 91	आर एफ. गट सं. 91
		--	125	भिवेगांव की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 127	निजी गट सं. 123	आर एफ. गट सं. 124
		--	126	भिवेगांव की ग्राम सीमा	निजी गट सं. 125	निजी गट सं. 125	निजी गट सं. 125

16	खरपद	285	--	भोमेल की ग्राम सीमा	कुधे बीआर की ग्राम सीमा गट सं. 284, 198, 200, 199, 254, 258, 259, 261, 283, 274, 238 से 243, 191, 190, 155, 156, 143, 146, 137, 138, 87, 90, 122, 123, 125, 126, 129, 131, 124,	अम्बोली की ग्राम सीमा	अम्बोली की ग्राम सीमा
		--	278	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	निजी गट सं. 279
		--	279	आर एफ. गट सं. 214	निजी गट सं. 279 और आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214
		--	280	निजी गट सं. 281	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214
		--	281	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	निजी गट सं. 280	आर एफ. गट सं. 214
		--	282	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214	आर एफ. गट सं. 214
17	जमबुरद	वन कम्पार्ट 18, 19, 20	--	राजापे की ग्राम सीमा	भोमेल की ग्राम सीमा	गट सं. 146	गट सं. 88, 87, 86, 83, 62, 61, 58, 57
18	राजापे	वन कम्पार्ट सं. 17 पीटी. 18, 17ए	--	भोमेल की ग्राम सीमा	भोमेल की ग्राम सीमा	गट सं. 61, 53, 51, 50, 67, 47, 44, 43, 35, 32	टेम्भरे की ग्राम सीमा
19	टामभरे	वन कम्पार्ट सं. 17पी टी.	--	अम्बेरपाडा तुंगि (एन.वी) की ग्राम सीमा	राजापे की ग्राम सीमा	गट सं. 50	तुंगि (एन.वी)की ग्राम सीमा
20	सिंगधोल	वन कम्पार्ट सं. 16पी टी.	--	तुंगि (एन.वी) की ग्राम सीमा	टेम्भरे की ग्राम सीमा	गट सं. 76, 75, 73, 69, 70	धोतरे की ग्राम सीमा
21	धोतरे	वन कम्पार्ट सं. 16पी टी.	--	पथराज की ग्राम सीमा	सिंगधोल की ग्राम सीमा	गट सं. 31, 39, 40, 44, 41, 45	सिलार की ग्राम सीमा

22	सिलार	वन कम्पार्ट सं. 16पी टी.	--	पथराज की ग्राम सीमा	धोतरे की ग्राम सीमा	गट सं. 31, 28, 27, 12, 10, 9	पथराज की ग्राम सीमा
23	पथराज	वन कम्पार्ट सं. 14, 15.	--	खांदाज की ग्राम सीमा	खांदाज और तुंगि की ग्राम सीमा	धोरे और सिलार की ग्राम सीमा	गट सं. 27, 7, 8, 34, 208, 206, 198, 197, 196, 186, 187, 184, 144, 143, 139, 38, 39.
24	खांदाज	वन कम्पार्ट सं. 13, 14.	--	गट सं. 27, 26	गट सं. 25, 24, 23, 21, 211, 211, 209, 208, 204, 221, 168, 167.	तुंगि की ग्राम सीमा	पथराज की ग्राम सीमा
25	अम्बेर-पाडा	वन कम्पार्ट सं. 11ए, 13	--	कोनधावल की ग्राम सीमा	निगादाले और भोरगिरी की ग्राम सीमा	तुंगि की ग्राम सीमा	गट सं. 55, 54, 43, 42, 40, 35, 34, 33, 28, 29, 27, 14, 11, 11, 10, 9
26	नांदगांव	वन कम्पार्ट सं. 11ए, 10	--	बलिवारे की ग्राम सीमा	कोनधावल की ग्राम सीमा	अम्बेरपाडा की ग्राम सीमा	गट सं. 148, 151, 152, 154, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170.
27	बालीवारे	वन कम्पार्ट सं. 10 बी	--	गट सं. 139, 138	कोनधावल की ग्राम सीमा	गट सं. 178	गट सं. 147, 150
			178	वन कम्पार्ट सं. 10बी	कोनधावल की ग्राम सीमा	नंदगांव की ग्राम सीमा	177
			139	गट सं. 140	कोनधावल की ग्राम सीमा	वन कम्पार्ट सं. 10बी	गट सं. 134
			138	गट सं. 139	गट सं. 139	गट सं. 139	गट सं. 139
			140	गट सं. 140	गट सं. 140	गट सं. 140	गट सं. 140
			141	गट सं. 128, 129	की ग्राम सीमा कोनधावल	गट सं. 139	गट सं. 130, 131, 136
			129	गट सं. 128	गट सं. 141	गट सं. 141	गट सं. 128
			128	गट सं. 121	कोनधावल की ग्राम सीमा	गट सं. 129, 141	गट सं. 127, 126
			121	दोनगार नहावे की ग्राम सीमा	कोनधावल की ग्राम सीमा	गट सं. 128	गट सं. 118, 122, 123

			120	गट सं. 121	गट सं. 121	गट सं. 121	गट सं. 121
			118	दोनगर नहावे की ग्राम सीमा	गट सं. 120	गट सं. 123, 115, 116	वन कम्पार्ट सं. 10ए
			117	गट सं. 118	गट सं. 118	गट सं. 118	गट सं. 118
		वन कम्पार्ट सं. 10ए	--	दोनगर नहावे की ग्राम सीमा	गट सं. 113	गट सं. 104, 103, 70, 74, 99, 98, 59, 58, 47, 46, 43	गट सं. 38
28	दोनगांहावे	वन कम्पार्ट सं. 756 पीटी.		गौथान से दोनगर नहावे, गट सं. 125, 126	वन कम्पार्ट सं. 756 पीटी., 128, 140, 206वी, 228, 153, 152, 148, 158,	जुरुनगवादी की ग्राम सीमा	अगासि की ग्राम सीमा गट सं. 226, 145, 1, 2, 3
			230 पीटी.	आर एफ221, 205	आर एफ221, 205	बाहील की ग्राम सीमा	आर एफ.205
			204	आर एफ221, 205	निजी एस सं.233	निजी एस सं.233	आर एफ.221, 205
			203 पीटी.	निजी एस सं.233	निजी एस सं.233	निजी एस सं.233	निजी एस सं.233
			201 पीटी.	निजी एस सं.202	निजी एस सं.202	निजी एस सं.201 पीटी.	निजी एस सं.202
			199 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.178	संरक्षित वन एस सं.1178	निजी एस सं.199 पीटी.	निजी एस सं.202
			195 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.178	संरक्षित वन एस सं.178	निजी एस सं.193	संरक्षित वन एस सं.178
			194 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.178	संरक्षित वन एस सं.177	निजी एस सं.193	निजी एस सं.193
			192 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.176	संरक्षित वन एस सं.175	निजी एस सं.188	निजी एस सं.193
			193 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.178	निजी एस सं.192	निजी एस सं.188	निजी एस सं.193 पीटी
			188 पीटी.	निजी एस सं.177	संरक्षित वन एस सं.174	निजी एस सं.185	निजी एस सं188 पीटी
			181	संरक्षित वन एस सं.182	संरक्षित वन एस सं.182	संरक्षित वन एस सं.182	आर एफ.205, 221.

			180	आर एफ..221, 205	सिधागाद की ग्राम सीमा	संरक्षित वन एस सं.182	आर एफ.205, 221
			227	संरक्षित वन एस सं.206 सी.	आर एफ.एस सं.206 बी	निजी एस सं.156	निजी एस सं.156
			228	आर एफ. 206 बी.	आर एफ.एस सं.206 बी	संरक्षित वन एस सं.206 सी.	निजी एस सं.153
			225	निजी एस सं.83 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.215	निजी एस सं.134	निजी एस सं.84
			224	निजी एस सं.137 पीटी.	निजी एस सं.138	निजी एस सं.224 पीटी.	निजी एस सं.128
			138	निजी एस सं.135 पीटी.	निजी एस सं.223, 206 बी.	आर एफ. एस सं.223, 206 बी.	निजी एस सं.224
			134	संरक्षित वन एस सं.215 पीटी.	आर एफ.एस सं.223, 206 बी.	निजी एस सं.135	निजी एस सं.134 पीटी.
			83	निजी एस सं.82 पीटी.	आर एफ.एस सं.223, 206 बी.	संरक्षित वन एस सं.215	निजी एस सं.83 पीटी.
29	जम्बुरदे	120	---	खानीवारे की ग्राम सीमा	गट सं. 123	गट सं. 4,5,9, 3,1,103,100,94,	
		---	113	निजी एस सं.120	निजी एस सं.120	निजी एस सं.120	निजी एस सं.120
			4	नदी	आर एफ.123	आर एफ.123	निजी एस सं.5
		---	5	नदी	निजी एस सं.4	आर एफ.123 और निजी एस सं.6.	निजी एस सं.6
		---	6	नदी और निजी एस सं.5	निजी एस सं.5 और आर एफ.121	निजी एस सं.7 और आर एफ.123	निजी एस सं.7,8
		---	7	नदी और निजी एस सं.6	निजी एस सं.6	निजी एस सं.6	निजी एस सं.8
		---	8 पीटी.	नदी	निजी एस सं.7 और आर एफ.121	दोनगारं की ग्राम सीमा डोंगरहवे	निजी एस सं.8 पीटी.
30	खानीवारे	97	---	गट सं. 40, 38, 37, 36	वन गट सं. 100	जम्बुरदे की ग्राम सीमा	गट सं. 58
		98	---	गट सं. 28	वन गट सं. 100	गट सं. 36	गट सं. 35
		96ए	---	गट सं. 28	गट सं. 28	गट सं. 28, 29, 96, 49	गौथान
		99	---	सकेरी की ग्राम सीमा	वन गट सं. 100	गट सं. 27	गट सं. 25
		---	36	निजी एस सं.35 और	संरक्षित वन एस सं.98	संरक्षित वन एस सं.97	निजी एस सं.97


				संरक्षित वन एस सं.98			
		---	30 पीटी.	निजी एस सं.28 पीटी	निजी एस सं.28 पीटी	निजी एस सं.28 पीटी.	निजी एस सं. 28 पीटी.
		---	28 पीटी.	निजी एस सं.28 पीटी	निजी एस सं.26, 27	संरक्षित वन एस सं.98 और निजी एस सं.30पीटी.	संरक्षित वन एस सं.96 और निजी एस सं.28 पीटी, 29, 30
		---	26 पीटी.	निजी एस सं.24, 25	निजी एस सं.27	निजी एस सं.28	निजी एस सं.28 पीटी.
		---	27 पीटी.	निजी एस सं.27 पीटी.	आर एफ.100.	आर एफ.100.	निजी एस सं.26, 28
31	सकुरली	---	24 पीटी.	गट सं. 24 पीटी.	नारीवाली की ग्राम सीमा	खानीवारी की ग्राम सीमा	गट सं. 24 पीटी.
32	नारीवाली	667	---	गट सं. 754, 741, 740.	वन गट सं. 668	वन गट सं. 666	सकुरली की ग्राम सीमा
		668	---	गट सं. 737,731, 729	वन गट सं. 669	वन गट सं. 666	वन गट सं. 667
		669	---	गट सं. 629	गट सं. 670	वन गट सं. 666	वन गट सं. 668
		652	---	गट सं. 646, 647, 650	उचाल की ग्राम सीमा	वन गट सं. 659	गट सं. 670, 672, 644, 645, 666
		659	---	वन गट सं. 652	सिद्धांगाद की ग्राम सीमा	वन गट सं. 666	वन गट सं. 666
		663	---	गट सं. 664, 665	वन गट सं. 659	वन गट सं. 659	वन गट सं. 659
		---	136 पीटी.	निजी एस सं.36पीटी.	संरक्षित वन एस सं.146	नदी	नदी
		---	147	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152
		---	148	संरक्षित वन एस सं.152	निजी एस सं.149	निजी एस सं.149	संरक्षित वन एस सं.152
		---	149	निजी एस सं.148	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152
		---	48	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152	संरक्षित वन एस सं.152
33	उचाले	940 से 944	---	गट सं. 945	वन गट सं. 942	गट सं. 913	गट सं. 918, 919, 920, 921, 938, 939, 940, 948, 950, 945

		976	---	गट सं. 977	वन गट सं. 942	गट सं. 945	गट सं. 945
		988	---	गट सं. 990	वन गट सं. 942	गट सं. 985	गट सं. 986, 987
		47	---	देहरी की ग्राम सीमा	देहरी की ग्राम सीमा	वन गट सं. 942	गट सं. 45, 46
			142	संरक्षित वन एस सं.170	संरक्षित वन एस सं.170	नारीवाली की ग्राम सीमा	नारीवाली की ग्राम सीमा
			140	निजी एस सं.139	संरक्षित वन एस सं.170	संरक्षित वन एस सं.170	निजी एस सं.140 पीटी.
			132	निजी एस सं.131	आर एफ.एससं.175	संरक्षित वन एस सं174	निजी एस सं.137
			131	निजी एस सं.130	आर एफ.एस सं.175 और संरक्षित वन एस सं.173	निजी एस सं.132	निजी एस सं.131 पीटी.
			129	निजी एस सं.128	आर एफ.एससं.175 और संरक्षित वन एस सं.172	निजी एस सं.130	निजी एस सं.129 पीटी.
			130	निजी एस सं.129	निजी एस सं.129	निजी एस सं.131 और संरक्षित वन एस सं173	निजी एस सं.130 पीटी.
34	देहरी	88	---	गट सं. 59	खोपिवाली की ग्राम सीमा	गट सं. 89	गट सं. 3
			83	निजी एस सं.3	संरक्षित वन एस सं.88	आर एफ.89	उचाले की ग्राम सीमा
			81	निजी एस सं.81 पीटी.	खोपिवाली वाली की ग्राम सीमा	संरक्षित वन एस सं.88	संरक्षित वन एस सं.88
			3 पीटी.	निजी एस सं.3 पीटी.	संरक्षित वन एस सं.88	संरक्षित वन एस सं.88 और निजी एस सं.83	उचाले की ग्राम सीमा और निजी एस सं.83
35	खोपिवाली	809	---	गट सं. 811	गट सं. 812	वन गट सं. 844	वन गट सं. 843
			843	---	गट सं. 26, 27, 28, 29, 831	वन गट सं. 844	वन गट सं. 844
36	मिलहे	5	---	गट सं. 32, 31, 26, 27, 25, 20, 9, 8, 6, 7, 4, 3, 28	दुधानोली की ग्राम सीमा	अहुपे और पिम्परधाने की ग्राम सीमा	खोपिवाली की ग्राम सीमा
37	दुधानोली	113	---	गट सं. 111, 68, 67, 66	पिम्परधाने खह की ग्राम सीमा	पिम्परधाने की ग्राम सीमा	मिलहे की ग्राम सीमा
38	उमरोली खह	नदी. सं. 745	---	दुर्गापुर खह की ग्राम सीमा	पिम्परधाने की ग्राम सीमा	दुधानोली की ग्राम सीमा	गट सं. 102, 140, 139, 97, 109, 96, 95, 98, 92.

39	दुर्गापुर	29	---	गट सं. 28	मद की ग्राम सीमा	पिम्परधाने की ग्राम सीमा	उम्बरोली खह की ग्राम सीमा
40	मध	नदी. सं. 743, 744	---	रामपुर की ग्राम सीमा	दोन की ग्राम सीमा	नदी. सं. 121	गट सं. 57, 54, 56
41	रामपुर	नदी. सं. 743	---	नदी. सं. 742	हतविज की ग्राम सीमा	मद की ग्राम सीमा	गट सं. 115
		नदी. सं. 742	---	नदी. सं. 741	हतविज और भिवदे बख की ग्राम सीमा	नदी. सं. 743	गट सं. 76, 81, 80
		नदी. सं. 741	---	पालु की ग्राम सीमा	भिवदे बख की ग्राम सीमा	नदी. सं. 742	गट सं. 30
42	पालु	नदी. सं. 740		गट सं. 275, 175, 276, 144, 277	वन कम्पार्ट सं. 739	भिवदे बख की ग्राम सीमा	नदी. सं. 741
		नदी. सं. 739		गट सं. 178	फंगुल गवहान की ग्राम सीमा	अम्बोली की ग्राम सीमा	नदी. सं. 740


उपाबंध- ॥क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपांध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपांध- III

सारणी क: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
ए	उ $19^{\circ} 12' 35.80''$	पू $73^{\circ} 36' 45.85''$
बी	उ $19^{\circ} 12' 54.35''$	पू $73^{\circ} 37' 24.17''$
सी	उ $19^{\circ} 08' 28.17''$	पू $73^{\circ} 36' 32.33''$
डी	उ $19^{\circ} 10' 28.96''$	पू $73^{\circ} 32' 53.21''$
ई	उ $19^{\circ} 07' 41.02''$	पू $73^{\circ} 37' 23.71''$
एफ	उ $19^{\circ} 07' 36.39''$	पू $73^{\circ} 34' 51.35''$
जी	उ $19^{\circ} 05' 02.83''$	पू $73^{\circ} 35' 21.52''$
एच	उ $19^{\circ} 02' 23.42''$	पू $73^{\circ} 35' 02.65''$

आई	उ $19^{\circ} 00' 47.98''$	पू $73^{\circ} 33' 13.91''$
जे	उ $19^{\circ} 00' 41.39''$	पू $73^{\circ} 32' 50.49''$
के	उ $19^{\circ} 00' 59.85''$	पू $73^{\circ} 32' 18.35''$
एल	उ $19^{\circ} 01' 50.44''$	पू $73^{\circ} 31' 59.36''$
एम	उ $19^{\circ} 02' 51.61''$	पू $73^{\circ} 32' 25.53''$
एन	उ $19^{\circ} 02' 45.30''$	पू $73^{\circ} 30' 53.53''$
ओ	उ $19^{\circ} 05' 04.96''$	पू $73^{\circ} 31' 40.36''$
पी	उ $19^{\circ} 07' 46.52''$	पू $73^{\circ} 31' 31.50''$
क्यू	उ $19^{\circ} 07' 40.62''$	पू $73^{\circ} 29' 51.64''$
आर	उ $19^{\circ} 08' 43.73''$	पू $73^{\circ} 29' 16.63''$
एस	उ $19^{\circ} 10' 51.88''$	पू $73^{\circ} 30' 18.13''$
टी	उ $19^{\circ} 10' 57.39''$	पू $73^{\circ} 30' 45.15''$
यू	उ $19^{\circ} 12' 04.14''$	पू $73^{\circ} 31' 54.07''$
वी	उ $19^{\circ} 11' 20.34''$	पू $73^{\circ} 33' 52.01''$
डब्ल्यू	उ $19^{\circ} 17' 35.07''$	पू $73^{\circ} 36' 32.18''$

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
01	उ $19^{\circ} 13' 09.2''$	पू $73^{\circ} 40' 07.8''$
02	उ $19^{\circ} 12' 58.3''$	पू $73^{\circ} 38' 55.9''$
03	उ $19^{\circ} 12' 31.1''$	पू $73^{\circ} 38' 26.2''$
04	उ $18^{\circ} 59' 55.4''$	पू $73^{\circ} 35' 23.1''$
05	उ $18^{\circ} 59' 17.8''$	पू $73^{\circ} 36' 06.4''$
06	उ $18^{\circ} 58' 57.4''$	पू $73^{\circ} 35' 53.5''$
07	उ $19^{\circ} 1' 57''$	पू $73^{\circ} 31' 58''$
08	उ $19^{\circ} 1' 58''$	पू $73^{\circ} 27' 30''$
09	उ $19^{\circ} 4' 00''$	पू $73^{\circ} 27' 30''$
10	उ $19^{\circ} 5' 10''$	पू $73^{\circ} 29' 58''$
11	उ $19^{\circ} 7' 58''$	पू $73^{\circ} 31' 30''$
12	उ $19^{\circ} 8' 53.20''$	पू $73^{\circ} 28' 49.08''$
13	उ $19^{\circ} 10' 20.24''$	पू $73^{\circ} 30' 7.56''$
14	उ $19^{\circ} 12' 18.65''$	पू $73^{\circ} 32' 2.65''$
15	उ $19^{\circ} 11' 42.00''$	पू $73^{\circ} 33'' 3.42''$
16	उ $19^{\circ} 12' 17.78''$	पू $73^{\circ} 35' 5.60''$
17	उ $19^{\circ} 13' 48.54''$	पू $73^{\circ} 37' 59.56''$
18	उ $19^{\circ} 15' 16.9''$	पू $73^{\circ} 39' 13.9''$
19	उ $19^{\circ} 16' 22.4''$	पू $73^{\circ} 42' 33.7''$
20	उ $19^{\circ} 14' 03.2''$	पू $73^{\circ} 42' 52.5''$

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

बिंदु आई डी	ग्राम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	बिंदु आई डी	ग्राम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
I	भिवाड़ बक.	19 14 06.19	73 40 15.85	XXIII	खांदास	19 03 56.38	73 29 50.85
II	भिवाड़ी खह.	19 12 35.00	73 40 56.52	XXIV	नानदगांव	19 66 69.34	73 29 40.56
III	हटविज	19 12 45.61	73 39 20.73	XXV	बालीवारे	19 66 69.34	73 29 40.56
IV	दोन	19 11 73.82	73 38 19.05	XXVI	डोंगरहवे	19 08 58.73	73 28 49.67
V	अघाने	19 10 0.50	73 37 0.49	XXVII	जमवुरद	19 09 45.33	73 29 08.57
VI	नहावाद	19 09 44.68	73 36 33.15	XXVIII	खानिवार	19 10 26.47	73 29 45.58
VII	तिरपद	19 10 28.31	73 38 51.58	XXIX	सकुरली	19 11 09.86	73 29 29.66
VIII	ननवाड	19 09 00.78	73 38 09.47	XXX	नारीवाली	19 11 15.75	73 30 33.74
IX	महालुंगे तरफ अम्बेगांव	19 07 0.477	73 37 0.390	XXXI	उचाल	19 12 00.99	73 31 16.02
X	पिम्परी	19 07 07.16	73 36 41.31	XXXII	देहरी	19 12 21.53	73 31 57.16
XI	तेरुंगन	19 06 54.4	73 34 49.00	XXXIII	खोपिवालि	19 12 17.87	73 32 59.40
XII	भिवागांव	19 03 13.66	73 35 19.92	XXXIV	मिलहे	19 12 35.01	73 33 44.52
XIII	भोमेल	19 01 08.87	73 35 19.88	XXXV	दुधनोली	19 12 35.01	73 33 44.52
XIV	खारपद	18 59 45.36	73 35 19.91	XXXVI	उमरोली खह.	19 12 48.21	73 35 51.80
XV	जमबरुंग	19 00 50.64	73 31 48.46	XXXVII	दुर्गापुर	19 12 48.21	73 35 51.80
XVI	राजाप	19 02 00.35	73 31 16.47	XXXVIII	मध	19 13 50.77	73 37 11.03
XVII	टेम्भर	19 01 54.24	73 30 11.80	XXXIX	रामपुर	19 14 21.7	73 37 21.0
XVIII	सिंगथोल	19 01 51.54	73 29 29.91	XL	पालु	19 15 40.8	73 38 40.8
XIX	धोत्रे	19 01 24.86	73 28 25.20	XLI	फानुल गवहन	19 15 50.7	73 42 38.7
XX	सिलार	19 01 37.52	73 27 22.86		अम्बोली	19 13 42.0	73 42 08.9
XXI	पथराज	19 03 00.73	73 27 22.96				
XXII	अम्भेरपाडा	19 03 01.79	73 30 55.18				

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत् : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत् को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2020

S.O. 2633(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2682 (E), dated the 25th July, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26th July, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Bhimashankar Wildlife Sanctuary is located in Pune, Thane and Raigad Districts in the State of Maharashtra;

AND WHEREAS, the Bhimashankar Wildlife Sanctuary was notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 1045/C.R.588/ (II)/F-5, dated the 16th September, 1985, over an area 130.78 square kilometers;

AND WHEREAS, the said Sanctuary is known for avifauna with species of birds including Indian shag, little cormorant, little egret, Indian pond heron, Asian openbill, black winged kite, brahmny kite shikra, red wattled lapwing, common sandpiper, spotted dove, etc;

AND WHEREAS, the protected area of the said sanctuary has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, about 25 species of reptiles and many species of amphibian are found; while the flora of this area is represented by “8A/C2 Western sub tropical hill forests” including species like mango (*Mangifera indica*), jambhul (*Schyzigium cummini*), pisa (*Actinodaphne hooker*), sisam (*Dalbergia latifolia*), anjani (*Memecylon*), behada (*Terminalia belerica*), ain (*Terminalia tomentosa*), moha (*Madhuca indica*), palas (*Butea monspeliana*), Pangara (*Erythrina variegata*), Khair (*Acacia catechu*),

kakad (*Garuga pinnata*), Shisham (*Dalbergia latifolia*), tiwas (*Ougeinia ouieinensis*) etc. among trees and karwand (*Carrissa carandus*) karmati (*Grewia villosa*), dhayti (*Woodfordia fruticosa*), karvi (*Carvia callosa*), nirgudi (*Vitex negundo*), adulsa (*Adhatoda vasica*) etc. among shrubs and grasses;

AND WHEREAS, the said protected area also supports important wildlife such as common leopard, Jungle cat, small Indian civet, striped hyena, barking deer, western hanuman langur, common grey mongoose, etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, the forests of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and the Sanctuary has a well knit network of many streams spreading throughout the Sanctuary, almost all streams are of seasonal nature, they form Bhima River, which drains into major dam Chaskaman, whereas Ghod River, and Bubara River having major dam Dimbha Dam named as Babu Genu reservoir;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 around the Bhimashankar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.05 kilometres to 10 kilometres around the boundary of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary, in Pune, Thane and Raigad Districts in the State of Maharashtra as the Bhimashankar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.05 kilometres to 10 kilometres around the boundary of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is **101.62 square kilometres**. *Fifty (50) metres minimum extent of Eco-sensitive Zone was justified by the State as:*

(a) *The western side of the protected area has a high unbroken ridge of the Western Ghats composed of Basaltic lava passing in a north south direction. It comprises steep slopes/deep cliff and valleys towards the west in the Konkan region. These cliffs act as a natural barrier/buffer on western and northern side of the Bhimashankar Wildlife sanctuary.*

(b) *As per state of forest report 2017, the areas included in the Eco-sensitive Zone (beyond 50 meters) fall mostly in the open forest category (with the density of less than 0.4). The flagship species of Bhimashankar Sanctuary is Indian Giant Squirrel which is a arboreal squirrel dependent on mature and diverse forest with continuous canopy cover. The area beyond 50 meters of the Eco-sensitive Zone is mainly of open forest which has very less continuous canopy cover.*

(2) The boundary description of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.

(3) The maps of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
- the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**- Bio-medical waste management shall be as under:-
- the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with the applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	New encroachment and their regularisation on forest land.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws after the 13 th December, 2005.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
29.	New wood based industry.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Leas out of submergence area by irrigation department.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No. (1)	Constituent of the Monitoring Committee (2)	Designation (3)
(i)	District Collector, Pune	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Collector Thane / Raigad	Member;
(iii)	Deputy Conservator of Forests, (Wildlife), Pune or his representative.	Member;
(iv)	Deputy Conservator of Forests, Raigad/ Thane or their representative.	Member;
(v)	Representative of the town planning office Thane / Raigad/ Pune)	Member;
(vi)	Representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra.	Member;
(vii)	One Expert in Ecology from reputed institution or any State University.	Member;
(viii)	Representative of Non-Governmental Organization (NGO) working in the field of wildlife conservation	Member;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Junnar.	Member-Secretary.

- 6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.– The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.– The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/97/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF MAHARASTRA

Sr. No.	Village	Forest Gut No.	Private Gut No.	Boundaries			
				North	East	South	West
1	2		4	5	6	7	8
1	Phagul Gavhan	105	--	Village Boundary of Ghatghar.	Gat No.90,91,92,98, 99,101,103,106,107,111,91 to 26, Village Boundary of Khadkumbe , Pur	Village Boundary of Amboli.	Village Boundary of Palu
		106	--	Gut No.69	Gut No.105	Gut No.105	Gut No.102,103

2	Amboli	515	--	Village Boundary of Phagul Gavhan	Village Boundary of Shiroli T Kukadner	Gut No. 269, 270, 272,275 ,278,280 to 283, 285 to 287, 290 to 295,459 to 469,478 to 490, 500 to 506, 514,513,516,517, 518	Village Boundary of Bhiwade Br. and Rampur
3	Bhiwade Bk	196	--	Village Boundary of Palu	Village Boundary of Amboli	Gut No. 215,207,206,89, 193, 194, 195, 190, 184, 187, 177,176,175.	Village Boundary of Hatvij And Bhiwade Kh.
		176	--	Gut No. 196,	Gat No. 177	Gut No 175	Gut No.196
		177	--	Gut No. 169	Gut No.184,183,182,181, 178	Gut No.175	Gut No.196
		195	--	Gut No.196	Gut No. 193,194	Gut No.190 ,196	Gut No. 196
		89	--	Gut No.196,	Gut No. 206,208	Gut No. 88,87,90,93,94,95	Gut No.184,185,191
		206	--	Gut No.196	Gut No.207	Gut No.208	Gut No.89,196
		207		Gut No.196	Gut No.215	Gut No.208	Gut No.206
		208	---	Gut No.206,207	Gut No. 215,212,211	Gut No.210 209,59,60,87,88	Gut No.89
		209	--	Gut No.208	Gut No.210	Gut No.59	Gut No.208
		214	--	Gut No. 208	Gut No.215,216	Gut No.210	Gut No.213,211,212
		215	--	Village Boundary of Amboli	Gut No 221	Gut No .220,216,214,208	Gut No.207,196
		216	--	Gut No 215	Gut No. 215	Gut No. 217 to 220	Gut No. 210,214
		--	197	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196
		--	198	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196 Private Gat No.199	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196
		--	199	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196 Private Gat No.200	Private Gat No.198	RF.Gat No.196
		--	200	RF.Gat No.196	Private Gat No.202, 201	RF.Gat No.196	Private Gat No.199
		--	202	RF.Gat No.196	Private Gat No.203	Private Gat No.201	Private Gat No.200
		--	203	RF.Gat No.196	Private Gat No.204	Private Gat No.201	Private Gat No.202
		--	204	RF.Gat No.196	Private Gat No.205	Private Gat No.201	Private Gat No.199
		--	205	RF.Gat No.196	RF.Gat No.196	Private Gat No.201	Private Gat No.203
4	Hatvij.	236	--	Gut No.241, 242, 246	Gut No. 229,230,231, 235,234,233,224,213,206, 207,209, 152 ,295,212	Village Boundary of Don , Gut No. 237, 240	Village Boundary of Mad
		337	--	Village Boundary of Bhiwade Bk	Gut No. 294,293,292, 281, 279 to 284, 335, 336,	Gut No. 251,252,267, 268,270,278,338, 341,65,66,71,73, 77	Village Boundary of Mad

		296	--	Village Boundary of Bhiwade Bk	Village Boundary of Bhiwade kh.	Gut No.294,297,298, 300, 301,305.	Gut No.337
		--	237	RF.Gat No.236	RF.Gat No.236	Village Boundary of Don	Private Gat No.204
		--	238	RF.Gat No.236	Private Gat No.237	Village Boundary of Don	Private Gat No.238
		--	239	RF.Gat No.236	Private Gat No.238	Village Boundary of Don	Private Gat No.239
		--	240	RF.Gat No.236	Private Gat No.239	Village Boundary of Don	RF.Gat No.236
5	Bhiwade Kh.	462	--	Village Boundary of Bhiwade Br.	Gat No.662,664, 465, 466, 471, 472,473, 461	Village Boundary of Ambe.	Village Boundary of Hatvij
6.	Don	61	--	Village Boundary of Hatvij	Gat No. 74,73,	Gat No. 62,60,59,	Village Boundary of Pimparghane
		56	--	Gat No.57	Gat No.55	Gat No.58	Gat No. 58
		--	57	Private Gat No.60	Private Gat No.64,65,66	RF.Gat No.56	Private Gat No.58,59
		--	58	Private Gat No.60	Private Gat No.57, RF.Gat No.56	RF.Gat No.8 & Village Boundary of Aghane	Village Boundary of Pimpargane
		--	59	RF.Gat No.61& Private Gat No.60	Private Gat No.60,58	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.61
		--	60	RF.Gat No.61	Private Gat No.62,63,64	Private Gat No.57,59,58	RF.Gat No.61
7.	Aghane	18	--	Village Boundary of Done	Village Boundary of Done	Gat No.30,21,20	Village Boundary of Pimpargane
		16	--	Gat No.17, 10	Gat No.9, 8, 11	Gat No.15, 14, 73	Village Boundary of Pimpargane
		51	--	Village Boundary of Pimpargane	Gat No.71, 70, 69, 60, 52, 56, 55, 54, 53, 52, 47, 48, 49, 50	Village Boundary of Nhaved	Village Boundary of Pimpargane
		--	17	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.8	RF.Gat No.5 & Private Gat No.10	RF.Gat No.5 & Village Boundary of Pimpargane
		--	71	Village Boundary of Pimpargane	Private Gat No.72	Private Gat No.36, 70	Private Gat No.69, RF.Gat No.36
		--	72	Village Boundary of Pimpargane	Private Gat No.73,74	Private Gat No.36	Private Gat No.71
		--	73	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.5, Private Gat No.14	Private Gat No.74	Private Gat No.72
8.	Nhaved	73	--	Gut No. 74 to 80, 66 to 69, 47	Village Boundary of Patan	Gut No. 70 To 72	Village Boundary of Sakeri
		105	--	Gut No. 101 to 104	Gut No. 74	Village Boundary of Sakeri	Gut No.107

		161	--	Village Boundary of Pimpargane	Gut No. 162,163 165, 134, 136, 135, 142, 110, 109,108	Gut No. 160	Village Boundary of Ahupe Gut No. 143,144,156,158, 159,160,
		191	--	Village Boundary of Agane and Don	Village Boundary of Tirpad Gut No. 192 to 198	Gut No. 201, 187, 190, 189, 188, 179, 173,172,171,167, 166.	Gut No. 164,165
		--	160	Village Boundary of Pimpargane	RF.Gat No.161	RF.Gat No.161	Private Gat No.159
		--	159	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.160	Private Gat No.158	RF.Gat No.155
		--	154	Private Gat No.156	Private Gat No.145, 152, 153	Village Boundary of Ahupe	RF.Gat No.155
		--	145	Private Gat No.156 & RF.Gat No.161	Private Gat No.144, 143.	Private Gat No.146, 147	Private Gat No.154, 152, 153.
		--	143	RF.Gat No.161	RF.Gat No.161	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
		--	144	RF.Gat No.161	Private Gat No.143	Private Gat No.145	Private Gat No.145
		--	152	Private Gat No.145	Private Gat No.146, 151.	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.153
		--	153	Private Gat No.145	Private Gat No.152	Village Boundary of Ahupe	Village Boundary of Ahupe & Private Gat No.154
		--	156	Private Gat No.158 & RF.Gat No.161	RF.Gat No.161	Private Gat No.144, 145, 154.	RF.Gat No.155 & Private Gat No.157
		--	157	Private Gat No.158	Private Gat No.158, 156	RF.Gat No.155	RF.Gat No.155
		--	158	Private Gat No.159	RF.Gat No.161	Private Gat No.146, 145	RF.Gat No.155 & Private Gat No.157
		--	146	Private Gat No.145	Private Gat No.147, 148, 149.	Private Gat No.150, 151.	Private Gat No.152
		--	147	Private Gat No.145	Private Gat No.143	Private Gat No.148	Private Gat No.146
		--	148	Private Gat No.147	Private Gat No.143	Private Gat No.149	Private Gat No.146
		--	106	Private Gat No.107	Private Gat No.107	Private Gat No.107	Private Gat No.107
		--	107	RF.Gat No.161 & Private Gat No.108	RF.Gat No.105	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Ahupe & Village Boundary of Sakeri
		--	74	Private Gat No.101, 75	Private Gat No.75 & RF.Gat No.73	Village Boundary of Sakeri	RF.Gat No.105
		--	47	Private Gat No.41	Private Gat No.43, 44, 45, 46 & RF.Gat No.73	RF.Gat No.73 & Private Gat No.68	Private Gat No.48, 55, 56, 57, 59.
		--	46	Private Gat No.45	Village Boundary of Patan	RF.Gat No.73	Private Gat No.47
		--	45	Private Gat No.44	Village Boundary of Patan	Private Gat No.46	Private Gat No.47

		--	43	Private Gat No.41	Village Boundary of Patan	Private Gat No.44	Private Gat No.47
		--	41	Private Gat No.34	Village Boundary of Patan	Private Gat No.43	Private Gat No.48
		--	34	Private Gat No.35	Private Gat No.32, 33	Village Boundary of Patan	Private Gat No.39, 41.
		--	33	Private Gat No.27	Village Boundary of Patan	Private Gat No.34	Private Gat No.32
		--	27	Private Gat No.208, 209.	Village Boundary of Patan	Private Gat No.33	Private Gat No.32, 26, 28.
		--	208	Private Gat No.207	Village Boundary of Patan	Private Gat No.27	Private Gat No.209, 210, 211
		--	209	Private Gat No.210	Private Gat No.208	Private Gat No.27	Private Gat No.26
		--	210	Private Gat No.211	Private Gat No.208	Private Gat No.209	Private Gat No.213
		--	207	Private Gat No.206	Village Boundary of Patan	Private Gat No.208	Private Gat No.211
		--	206	Private Gat No.204, 205	Village Boundary of Patan	Private Gat No.207	Private Gat No.211, 203
		--	205	Private Gat No.204	Village Boundary of Patan	Private Gat No.206	Private Gat No.204, 206
		--	204	Private Gat No.200	Village Boundary of Patan	Private Gat No.205, 206.	Private Gat No.201, 202, 203, 211.
		--	200	RF.Gat No.191	Village Boundary of Patan	Private Gat No.204	Private Gat No.201
		--	198	Private Gat No.197	Village Boundary of Patan	RF.Gat No.191	RF.Gat No.191
		--	197	Private Gat No.196, 195	Village Boundary of Patan	Private Gat No.198	RF.Gat No.191
		--	196	Private Gat No.193, 194	Private Gat No.195 & Village Boundary of Patan	Private Gat No.197	Private Gat No.192
		--	195	RF.Gat No.191	Village Boundary of Patan	Private Gat No.197	Private Gat No.196, 194,
		--	70	RF.Gat No.73	RF.Gat No.73	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.71
		--	71	RF.Gat No.73	Private Gat No.70	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.72
		--	72	RF.Gat No.73	Private Gat No.71	Village Boundary of Sakeri	RF.Gat No.73
		--	162	Village Boundary of Aghane	Private Gat No.163	RF.Gat No.161	RF.Gat No.161
		--	149	Private Gat No.148	Private Gat No.143	Private Gat No.150	Private Gat No.146, 151.
		--	150	Private Gat No.149	Private Gat No.143	Village Boundary of Ahupe	Private Gat No.151.
		--	199	Private Gat No.198	Village Boundary of Patan	Private Gat No.200	RF.Gat No.191
9	Tirpad	41	--	Village Boundary of Don	Gut No. 51 to 54, 103 to 110	Gut No 30 to 40, 26, 259,260,	Village Boundary of Patan and Nahved
		--	36	Private Gat No.37	RF.Gat No.41.	Private Gat No.33	RF.Gat No.41.

		--	37	Private Gat No.38	RF.Gat No.41.	Private Gat No.36	RF.Gat No.41.
		--	38	Private Gat No.39	RF.Gat No.41.	Private Gat No.37	RF.Gat No.41.
		--	39	Private Gat No.40	RF.Gat No.41.	Private Gat No.38	RF.Gat No.41.
		--	40	RF.Gat No.41.	RF.Gat No.41.	Private Gat No.39	RF.Gat No.41.
10	Nanawade	108	--	Gut No 112 to 114	Gut No 107,29	Gut No. 28,109 to 111	Village Boundary of Patan
		125	--	Gut No. 129,	Gut No. 126,97,98,	Gut No.101,102,124, 121, 117.	Village Boundary of Patan
		126	--	Gut No. 227	Gut No 221 To 223	Gut No.224	Gut No. 225
		--	257	Private Gat No.258	RF.Gat No.262	Private Gat No.256	Village Boundary of Patan
		--	258	Private Gat No.261	RF.Gat No.262	Private Gat No.257	Village Boundary of Patan
		--	259	Village Boundary of Tirpad	Village Boundary of Tirpad	Private Gat No.260	Village Boundary of Patan
		--	260	Village Boundary of Tirpad	Village Boundary of Tirpad	Private Gat No.261, 258.	Village Boundary of Patan
		--	261	Private Gat No.260	Village Boundary of Tirpad	Private Gat No.258 & RF.Gat No.262	Private Gat No.257
		--	251	Private Gat No.250	Private Gat No.248, 247.	Private Gat No.232	Private Gat No.252, 253, 254.
		--	252	Private Gat No.253	Private Gat No.251	Private Gat No.232	Village Boundary of Patan
		--	253	Private Gat No.254	Private Gat No.250, 251.	Private Gat No.252	Village Boundary of Patan
		--	254	Private Gat No.255	Private Gat No.250	Private Gat No.253	Village Boundary of Patan
		--	255	Private Gat No.256	RF.Gat No.162	Private Gat No.268, 269, 249, 250, 254.	Village Boundary of Patan
		--	256	Private Gat No.257	RF.Gat No.162	Private Gat No.255	Village Boundary of Patan
		--	229	Private Gat No.230	Private Gat No.233	Private Gat No.228	Village Boundary of Patan
		--	230	Private Gat No.231	Private Gat No.233	Private Gat No.229	Village Boundary of Patan
		--	231	Private Gat No.232	Private Gat No.233	Private Gat No.230	Village Boundary of Patan
		--	232	Private Gat No.252, 251	Private Gat No.233, 247.	Private Gat No.231	Village Boundary of Patan
		--	233	Private Gat No.247.	Private Gat No.237, 238, 241, 235.	Private Gat No.227	Private Gat No.228, 229, 230, 231, 232.
		--	110	RF.Gat No.108	Private Gat No.109	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.111
		--	111	RF.Gat No.108	Private Gat No.110	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Sakeri & Village Boundary of Patan
		--	112	Private Gat No.113 &	Private Gat No.113	RF.Gat No.108	Village Boundary

				Village Boundary of Patan			of Patan
		--	113	Private Gat No.117	Private Gat No.115, 114.	RF.Gat No.108	Private Gat No.112
		--	114	Private Gat No.115	Private Gat No.107	RF.Gat No.108	Private Gat No.113
		--	115	Private Gat No.117	Private Gat No.116, 107	Private Gat No.114	Private Gat No.113, 117.
		--	116	Private Gat No.117	Private Gat No.107	Private Gat No.115	Private Gat No.115
		--	117	RF.Gat No.125 & Village Boundary of Patan	Private Gat No.118 & RF.Gat No.125	Private Gat No.106, 107, 115, 116, 112, 113.	Village Boundary of Patan
		--	129	Private Gat No.130	Private Gat No.128, 127.	RF.Gat No.125	Village Boundary of Patan
		--	130	Private Gat No.138	Private Gat No.131, 128	Private Gat No.129	Village Boundary of Patan
		--	131	Private Gat No.138	Private Gat No.137, 136, 132.	Private Gat No.128	Private Gat No.130
		--	137	Private Gat No.139	Private Gat No.141, 142, 136.	Private Gat No.131, 132.	Private Gat No.131
		--	138	Private Gat No.224	Private Gat No.139.	Private Gat No.131, 137.	Village Boundary of Patan
		--	139	Private Gat No.224	Private Gat No.140, 141.	Private Gat No.137.	Private Gat No.138
		--	224	Private Gat No.225, 226.	RF.Gat No.220 & Private Gat No.222	Private Gat No.138, 139, 140.	Village Boundary of Patan
		--	225	Private Gat No.227	Private Gat No.226	Private Gat No.224	Village Boundary of Patan
		--	226	Private Gat No.227	Private Gat No.227	Private Gat No.224	Private Gat No.225
		--	227	Private Gat No.233	Private Gat No.235, 234 & RF.Gat No.220	Private Gat No.224, 225, 226.	Private Gat No.224 & Village Boundary of Patan
		--	228	Private Gat No.229	Private Gat No.233	Private Gat No.227	Village Boundary of Patan
		--	109	RF.Gat No.108	Village Boundary of Mahalunge Tarf Ambegaon	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.110.
11	Mahalunge Tarf Ambegaon	--	21	Private Gat No.26	Private Gat No.20, 30	Private Gat No.22	Private Gat No.24, 25
		--	22	Private Gat No.21, 20.	Private Gat No.19	Private Gat No.23	Private Gat No.24
		--	23	Private Gat No.22	Private Gat No.19	Village Boundary of Sakeri & Village Boundary of Phalode	Private Gat No.24
		--	24	Private Gat No.25	Private Gat No.21, 22, 23.	Village Boundary of Phalode	Village Boundary of Sakeri
		--	25	Private Gat No.26	Private Gat No.21	Private Gat No.24	Village Boundary of Sakeri
		--	26	Private Gat No.28	Private Gat No.28	Private Gat No.21, 25.	Village Boundary of Sakeri & Private Gat No.27
		--	27	Private Gat No.28	Private Gat No.26	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Nanawade

12	Pimpri	105	--	Village Boundary of Sakeri, Gut No 103,104,10 6,108 to 112	Gat No. 52 , 77, 74, 83 to 93, 80,82,	Village Boundary of Nanawade Terungan Gut No 96 to 102	Village Boundary of Kondhwal
		100	--	Gut No.96,	Gat No.97	Village Boundary of Terungan	Gat No.101,102
		--	106	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.108	RF.Gat No.105	RF.Gat No.105
		--	107	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.108	Private Gat No.106	Private Gat No.106
		--	108	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.109	RF.Gat No.105	Private Gat No.106, 107
		--	109	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.110	RF.Gat No.105	Private Gat No.108
		--	110	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.111	RF.Gat No.105	Private Gat No.109
		--	111	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.112	RF.Gat No.105	Private Gat No.110
		--	112	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.113, 114.	RF.Gat No.105	Private Gat No.111
		--	113	Private Gat No.114, 115, 118.	Private Gat No.119	Private Gat No.52	RF.Gat No.105 & Private Gat No.112
		--	114	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.117	Private Gat No.113	Private Gat No.112
		--	115	Private Gat No.114	Private Gat No.116, 117	Private Gat No.118	Private Gat No.113
		--	116	Private Gat No.117	Private Gat No.117	Private Gat No.115	Private Gat No.117
		--	117	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.119	Private Gat No.118, 115	Private Gat No.114
		--	118	Private Gat No.117	Private Gat No.119	Private Gat No.113	Private Gat No.115
		--	119	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.120	Private Gat No.52	Private Gat No.113, 118, 117.
		--	120	Private Gat No.113	Private Gat No.121	Private Gat No.52	Private Gat No.119
		--	121	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.42 & RF.Gat No.122	Private Gat No.46, 47, 45, 49, 50.	Private Gat No.120, 52.
		--	123	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.124, 129	RF.Gat No.122	Village Boundary of Sakeri
		--	124	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.126, 127	Private Gat No.125, 129.	Private Gat No.123
		--	125	Private Gat No.124	Private Gat No.127	Private Gat No.129	Private Gat No.129

		--	126	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.128	Private Gat No.127	Private Gat No.124
		--	127	Private Gat No.126	Private Gat No.128	Private Gat No.125	Private Gat No.124
		--	128	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.130	Private Gat No.129	Private Gat No.126, 127.
		--	133	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.121	Private Gat No.120	Private Gat No.119
		--	101	Private Gat No.102	RF.Gat No.100	Village Boundary of Terungan	Village Boundary of Kondhaval
		--	102	Village Boundary of Sakeri	RF.Gat No.105, 100	Private Gat No.101	Village Boundary of Kondhaval
		--	103	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.104	RF.Gat No.105	Village Boundary of Kondhaval
		--	104	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.105	Private Gat No.103
		--	1	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.3	Private Gat No.2	Gaotheran & Private Gat No.130
		--	2	Private Gat No.1	Private Gat No.3, 4	Private Gat No.4	Gaotheran
		--	3	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Sakeri	Private Gat No.4	Private Gat No.1, 2.
		--	5	Village Boundary of Sakeri	Village Boundary of Phalode	Private Gat No.6, 7.	Private Gat No.4.
13	Terungan	31	--	Village Boundary of Pimpri Gat No. 54	Village Boundary of Rajpur. Gat No.18 to 21, 23, to 26	Village Boundary of Nigdale Gat No. 28,30,31	Village Boundary of Kondhwal Gat No. 33 to 39, 43,44, 47, 48, 50, 29, 12, 15,16, 9,8, 6,56,57,58,53,13, 51,52,
		--	27	Private Gat No.28	Private Gat No.26	Village Boundary of Rajpur & Village Boundary of Bhivegaon	Village Boundary of Dhagewadi
		--	28	RF.Gat No.31	Private Gat No.26	Private Gat No.27	Village Boundary of Dhagewadi
		--	30	RF.Gat No.31	RF.Gat No.31	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.29
		--	29	RF.Gat No.31	Private Gat No.30	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.32 & RF.Gat No.31
		--	32	Private Gat No.35	Private Gat No.33 & RF.Gat No.31	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.36
		--	33	RF.Gat No.31	Private Gat No.34	RF.Gat No.31 & Private Gat No.32	Private Gat No.35
		--	36	Private Gat No.37	Private Gat No.35 & RF.Gat No.31	Private Gat No.32	Village Boundary of Dhagewadi
		--	37	Private Gat No.39	Private Gat No.38	Private Gat No.36	Private Gat No.40
		--	40	Private Gat No.41	Private Gat No.39, 37.	Village Boundary of Dhagewadi	Village Boundary of Dhagewadi

		--	41	Private Gat No.42	Private Gat No.39	Private Gat No.40	Village Boundary of Dhagewadi & Village Boundary of Kondhaval
		--	42	Private Gat No.44, 45.	Private Gat No.43	Private Gat No.39, 41	Village Boundary of Dhagewadi
		--	45	Private Gat No.46	Private Gat No.47, 44	Private Gat No.42	Village Boundary of Dhagewadi
		--	46	Private Gat No.49	Private Gat No.47, 48.	Private Gat No.44, 45	Village Boundary of Dhagewadi
		--	49	Private Gat No.52, 51.	Private Gat No.48, 50	Private Gat No.46	Village Boundary of Dhagewadi
		--	52	RF.Gat No.31	Private Gat No.51	Private Gat No.49	Village Boundary of Dhagewadi
14	Bhivegaon	66	---	Village Boundary of Rajpur Gat No. 36 to, 61.	Village Boundary of Karkudi and Tokawde Gat No. 63 to 65	Gat No.111,109,102, 101, 99,98,97, 95 94,93,67 to 78, 14, 18 to 27,31 32,	Village Boundary of Bhorgiri
		--	60	RF.Gat No.66	Private Gat No.61	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
		--	61	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66 & Private Gat No.60
		--	62	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
		--	33	RF.Gat No.66	Private Gat No.34	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
		--	34	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	Private Gat No.33
		--	35	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66	RF.Gat No.66
		--	37	Village Boundary of Dhagewadi	Private Gat No.38	RF.Gat No.66 & Private Gat No.36	RF.Gat No.66
		--	38	Village Boundary of Dhagewadi & Village Boundary of Terungan	Private Gat No.41	RF.Gat No.66 & Private Gat No.39, 40.	Private Gat No.37
		--	41	Village Boundary of Terungan	Private Gat No.42	RF.Gat No.66 & Private Gat No.40.	Private Gat No38
		--	32	RF.Gat No.66	Private Gat No.31	Private Gat No.154, 156.	Village Boundary of Bhorgiri
		--	154	Private Gat No.32	Private Gat No.153, 155, 156.	Private Gat No.152	Village Boundary of Bhorgiri
		--	152	Private Gat No.154	Private Gat No.147, 149, 151, 153.	Private Gat No.145, 143, 142.	Village Boundary of Bhorgiri
		--	142	Private Gat No.152	Private Gat No.143	Private Gat No.141	Village Boundary of Bhorgiri
		--	141	Private Gat No.142	Private Gat No.143	Private Gat No.140	Village Boundary of Bhorgiri
		--	140	Private Gat No.141	Private Gat No.143	Private Gat No.135, 136, 137, 138, 139.	Village Boundary of Bhorgiri

		--	135	Private Gat No.140	Private Gat No.134	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.136
		--	136	Private Gat No.140	Private Gat No.135	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.137
		--	137	Private Gat No.140	Private Gat No.136	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.138
		--	138	Private Gat No.140	Private Gat No.137	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.139
		--	139	Private Gat No.140	Private Gat No.138	Village Boundary of Bhorgiri	Village Boundary of Bhorgiri
		--	134	Private Gat No.143	Private Gat No.133	Village Boundary of Bhorgiri	Private Gat No.135
		--	133	Private Gat No.118, 119.	Private Gat No.120	Private Gat No.130, 132.	Village Boundary of Bhorgiri & Village Boundary of Bhomale
		--	143	Private Gat No.152.	Private Gat No.144, 145.	Private Gat No.134	Private Gat No.140, 141, 142.
15	Bhomale	91	--	Gut No. 119 to 123, 127,128,13 0,133,134, 135,	Village Boundary of Pabhae , Gut No.,148, 146, 145, 161 to 166, 12, 13,157,158, 159, 150, 151, 153,78 to 80, 82 to 90,74, 75,	Village Boundary of Kharpudd,	Village Boundary of Jambrung Gut No.93 to 104,
		53	--	Gut No. 73,74,75,54 to 60, 16 to 19, 28 to 32,	Village Boundary of Pabhae 33, 34, 36, 42,43, 47,to 49	Village Boundary of Kharpudd, Gut No. 50, 52,57.	Gut No. 74
		124	--	Village Boundary of Bhorgiri	Gat No.123,125,	Gut No. 120 to 122	Village Boundary of Bhomale
		--	50	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	Village Boundary of Kharpudd	RF.Gat No.53
		--	51	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	Village Boundary of Kharpudd	RF.Gat No.53
		--	52	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53	RF.Gat No.53
		--	119	Private Gat No.120	RF.Gat No.91	Village Boundary of Bhorgiri & RF.Gat No.91	Village Boundary of Bhorgiri
		--	120	Private Gat No.121	RF.Gat No.91	Private Gat No.119	RF.Gat No.124 & Village Boundary of Bhorgiri
		--	121	Private Gat No.122	RF.Gat No.91	Private Gat No.120	RF.Gat No.124
		--	122	Private Gat No.123	RF.Gat No.91	Private Gat No.121	RF.Gat No.124
		--	123	Private Gat No.125	Private Gat No.127	Private Gat No.123 & RF.Gat No.91	RF.Gat No.124
		--	129	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91
		--	149	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91	RF.Gat No.91
		--	125	Village Boundary of Bhivegaon	Private Gat No.127	Private Gat No.123	RF.Gat No.124
		--	126	Village Boundary of Bhivegaon	Private Gat No.125	Private Gat No.125	Private Gat No.125

16	Kharpud	285	--	Village Boundary of Bhomale	Village Boundary of Kudhe Br. Gut No.284, 198, 200, 199, 254, 258, 259, 261, 283, 274, 238 to 243, 191, 190, 155, 156, 143, 146, 137, 138, 87, 90, 122, 123, 125, 126, 129, 131, 124,	Village Boundary of Amboli	Village Boundary of Amboli.
		--	278	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	Private Gat No.279
		--	279	RF.Gat No.214	Private Gat No.279 & RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214
		--	280	Private Gat No.281	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214
		--	281	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	Private Gat No.280	RF.Gat No.214
		--	282	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214	RF.Gat No.214
17	Jambrung	Forest Compt. no. 18, 19, 20	--	Village Boundary of Rajape	Village Boundary of Bhomale	Gat no.146	Gat no.88, 87, 86, 83, 62, 61, 58, 57
18	Rajape	Forest Compt. no. 17 pt. 18, 17A	--	Village Boundary of Bhomale	Village Boundary of Bhomale	Gat no.61, 53, 51, 50, 67, 47, 44, 43, 35, 32	Village Boundary of Tambhare
19	Tambhare	Forest Compt. no. 17pt.	--	Village Boundary of Amberpada, Tungi(N.V.)	Village Boundary of Rajape	Gat no.50	Village Boundary of Tungi(N.V.)
20	Singdhol	Forest Compt. no. 16pt.	--	Village Boundary of Tungi(N.V.)	Village Boundary of Tembhare	Gat no.76, 75, 73, 69, 70	Village Boundary of Dhotre
21	Dhotre	Forest Compt. no. 16pt.	--	Village Boundary of Pathraj	Village Boundary of Shingdhol	Gat no.31, 39, 40, 44, 41, 45	Village Boundary of Shilar
22	Shilar	Forest Compt. no. 16pt.	--	Village Boundary of Pathraj	Village Boundary of Dhotre	Gat no.31, 28, 27, 12, 10, 9	Village Boundary of Pathraj
23	Pathraj	Forest Compt. no. 14, 15.	--	Village Boundary of Khandaj	Village Boundary of Khandaj & Tungi	Village Boundary of Dhore & Shilar	Gat no.27, 7, 8, 34, 208, 206, 198, 197, 196, 186, 187, 184, 144, 143, 139, 38, 39.
24	Khandaj	Forest Compt. no. 13, 14.	--	Gat no.27, 26	Gat no.25, 24, 23, 21, 211, 211, 209, 208, 204, 221, 168, 167.	Village Boundary of Tungi	Village Boundary of Pathraj
25	Ambherpada	Forest Compt. no. 11A, 13	--	Village Boundary of Kondhaval	Village Boundary of Nigadale & Bhorgiri	Village Boundary of Tungi	Gat no.55, 54, 43, 42, 40, 35, 34, 33, 28, 29, 27, 14, 11, 11, 10, 9
26	Nandgaon	Forest Compt. no. 11A, 10	--	Village Boundary of Baliware	Village Boundary of Kondhaval	Village Boundary of Amberpada	Gat no.148, 151, 152, 154, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170.


27	Balivare	Forest Compt. no. 10 B	--	Gat no.139,138	Village Boundary of Kondhaval	Gat no.178	Gat no.147, 150
			178	Forest Compt. no. 10B	Village Boundary of Kondhaval	Village Boundary of nandgaon	177
			139	Gat no.140	Village Boundary of Kondhaval	Forest Compt. no. 10B	Gat no.134
			138	Gat no.139	Gat no.139	Gat no.139	Gat no.139
			140	Gat no.140	Gat no.140	Gat no.140	Gat no.140
			141	Gat no.128, 129	Village Boundary of Kondhaval	Gat no.139	Gat no.130,131,136
			129	Gat no.128	Gat no.141	Gat no.141	Gat no.128
			128	Gat no.121	Village Boundary of Kondhaval	Gat no.129, 141	Gat no.127, 126
			121	Village Boundary of Dongar Nhavre	Village Boundary of Kondhaval	Gat no.128	Gat no.118, 122, 123
			120	Gat no.121	Gat no.121	Gat no.121	Gat no.121
			118	Village Boundary of Dongar Nhavre	Gat no.120	Gat no.123, 115, 116	Forest Compt. no. 10A
			117	Gat no.118	Gat no.118	Gat no.118	Gat no.118
		Forest Compt. no. 10A	--	Village Boundary of Dongar Nhavre	Gat no.113	Gat no.104, 103, 70, 74, 99, 98, 59, 58, 47, 46, 43	Gat no.38
28	Dongarnhave	Forest Compt. no. 756 pt.		Gaonthan of Dongar Nhavre, Gat no 125, 126	Forest Compt no. 756 pt., 128, 140, 206B, 228, 153, 152, 148, 158,	Village Boundary of Zurungwadi	Village Boundary of Agashi, Gat no. 226, 145, 1, 2, 3
			230 Pt.	RF. 221, 205	RF. 221, 205	Village Boundary of Vahile	RF.205
			204	RF. 221, 205	Private S. No.233	Private S. No.233	RF.221, 205
			203 Pt.	Private S. No.233	Private S. No.233	Private S. No.233	Private S. No.233
			201 Pt.	Private S. No.202	Private S. No.202	Private S. No.201 pt.	Private S. No.202
			199 Pt.	Protected Forest S.No.178	Protected Forest S.No.1178	Private S. No.199 pt.	Private S. No.202
			195 Pt.	Protected Forest S.No.178	Protected Forest S.No.178	Private S. No.193	Protected Forest S.No.178
			194 Pt.	Protected Forest S.No.178	Protected Forest S.No.177	Private S. No.193	Private S. No.193
			192 Pt.	Protected Forest S.No.176	Protected Forest S.No.175	Private S. No.188	Private S. No.193
			193 Pt.	Protected Forest S.No.178	Private S. No.192	Private S. No.188	Private S. No.193 pt
			188 Pt.	Private S. No.177	Protected Forest S.No.174	Private S. No.185	Private S. No188 pt

			181	Protected Forest S.No.182	Protected Forest S.No.182	Protected Forest S.No.182	RF.205, 221.
			180	RF..221, 205	Village Boundary of Sidhagad	Protected Forest S.No.182	RF.205, 221
			227	Protected Forest S.No.206 C.	RF.S.No.206 B	Private S. No.156	Private S. No.156
			228	RF. 206 B.	RF.S.No.206 B	Protected Forest S.No.206 C.	Private S. No.153
			225 Pt.	Private S. No.83	Protected Forest S.No.215	Private S. No.134	Private S. No.84
			224 Pt.	Private S. No.137	Private S. No.138	Private S. No.224 pt.	Private S. No.128
			138 Pt.	Private S. No.135		RF S.No.223, 206 B.	Private S. No.224
			134 Pt.	Protected Forest S.No.215	RF.S.No.223 , 206 B.	Private S. No.135	Private S. No.134 pt
			83 Pt.	Private S. No.82.	RF.S.No.223 , 206 B.	Protected Forest S.No.215	Private S. No.83 pt.
29	Jamburde	120	---	Village Boundary of Khanivare	Gut No.123	Gut No.4,5,9,	Gut No. 3,1,103,100,94,
,		---	113	Private S. No.120	Private S. No.120	Private S. No.120	Private S. No.120
			4	River	RF.123	RF.123	Private S. No.5
		---	5	River	Private S. No.4	RF.123 & Private S. No.6.	Private S. No.6
		---	6	River & Private S. No.5	Private S. No.5 & RF.121	Private S. No.7 & RF.123	Private S. No.7,8
		---	7	River & Private S. No.6	Private S. No.6	Private S. No.6	Private S. No.8
		---	8 Pt.	River	Private S. No.7 & RF.121	Village Boundary of Dongarnhve	Private S. No.8 pt.
30	Khanivare	97	---	Gut No.40, 38, 37, 36	Forest Gat no. 100	Village Boundary of Jambhurde	Gut No.58
		98	---	Gut No.28	Forest Gat no. 100	Gut No.36	Gut No.35
		96A	---	Gut No.28	Gut No.28	Gut No.28, 29, 96, 49	Gaothan
		99	---	Village Boundary of Sakari	Forest Gat no. 100	Gut No.27	Gut No.25
		---	36	Private S. No.35 & Protected Forest S.No.98	Protected Forest S.No.98	Protected Forest S.No.97	Private S. No.97
		---	30 Pt.	Private S. No.28 pt	Private S. No.28 pt	Private S. No.28 pt.	Private S. No. 28 pt.
		---	28 Pt.	Private S. No.28 pt	Private S. No.26, 27	Protected Forest S.No.98 & Private S. No.30pt.	Protected Forest S.No.96 & Private S. No.28 pt, 29, 30
		---	26 Pt.	Private S. No.24, 25	Private S. No.27	Private S. No.28	Private S. No.28 pt.

		---	27 Pt.	Private S. No.27 pt.	RF.100.	RF.100.	Private S. No.26, 28
31	Sakurli	---	24 Pt.	Gat no.24 Pt.	Village Boundary of Narivali	Village Boundary of Khanivari	Gat no.24 Pt.
32	Narivali	667	---	Gat no. 754, 741, 740.	Forest Gat no. 668	Forest Gat no. 666	Village Boundary of Sakurli
		668	---	Gat no. 737,731, 729	Forest Gat no. 669	Forest Gat no. 666	Forest Gat no. 667
		669	---	Gat no. 629	Gat no. 670	Forest Gat no. 666	Forest Gat no. 668
		652	---	Gat no. 646, 647, 650	Village Boundary of Uchale	Forest Gat no. 659	Gat no. 670, 672, 644, 645, 666
		659	---	Forest Gat no. 652	Village Boundary of Siddhagad	Forest Gat no. 666	Forest Gat no. 666
		663	---	Gat no. 664, 665	Forest Gat no. 659	Forest Gat no. 659	Forest Gat no. 659
		---	136 Pt.	Private S. No.36pt.	Protected Forest S.No.146	River	River
		---	147	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152
		---	148	Protected Forest S.No.152	Private S. No.149	Private S. No.149	Protected Forest S.No.152
		---	149	Private S. No.148	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152
		---	48	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152	Protected Forest S.No.152
33	Uchale	940 to 944	---	Gat no. 945	Forest Gat no. 942	Gat no. 913	Gat no. 918, 919, 920, 921, 938, 939, 940, 948, 950, 945
		976	---	Gat no. 977	Forest Gat no. 942	Gat no. 945	Gat no. 945
		988	---	Gat no. 990	Forest Gat no. 942	Gat no. 985	Gat no. 986, 987
		47	---	Village Boundary of Dehari	Village Boundary of Dehari	Forest Gat no. 942	Gat no. 45, 46
			142	Protected Forest S.No.170	Protected Forest S.No.170	Village Boundary of Narivali	Village Boundary of Narivali
			140 Pt.	Private S. No.139	Protected Forest S.No.170	Protected Forest S.No.170	Private S. No.140 pt.
			132 Pt.	Private S. No.131	RF.S.No.175	Protected Forest S.No174	Private S. No.137
			131 Pt.	Private S. No.130	RF.S.No.175 & Protected Forest S.No.173	Private S. No.132	Private S. No.131 pt.
			129 Pt.	Private S. No.128	RF.S.No.175 & Protected Forest S.No.172	Private S. No.130	Private S. No.129 pt.
			130 Pt.	Private S. No.129	Private S. No.129	Private S. No.131 & Protected Forest S.No173	Private S. No.130 pt.
34	Dehari	88	---	Gat no. 59	Village Boundary of Khopivali	Gat no. 89	Gat no. 3
			83	Private S. No.3	Protected Forest S.No.88	RF.89	Village Boundary of Uchale
			81 Pt.	Private S. No.81 pt.	Village Boundary of Khopovali	Protected Forest S.No.88	Protected Forest S.No.88


			3 Pt.	Private S. No.3 pt.	Protected Forest S.No.88	Protected Forest S.No.88 & Private S. No.83	Village Boundary of Uchale & Private S. No.83
35	Khopivali	809	---	Gat no. 811	Gat no. 812	Forest Gat no. 844	Forest Gat no. 843
		843	---	Gat no. 26, 27, 28, 29, 831	Gat no. 811, 809, 812	Forest Gat no. 844	Forest Gat no. 844
36	Milhe	5	---	Gat no. 32, 31, 26, 27, 25, 20, 9, 8, 6, 7, 4, 3, 28	Village Boundary of Dudhanoli	Village Boundary of Ahupe and Pimpargane	Village Boundary of Khopivali
37	Dudhanoli	113	---	Gat no. 111, 68, 67, 66	Village Boundary of Umbaroli kh.	Village Boundary of Pimparghane	Village Boundary of Milhe
38	Umroli Kh.	Forest Compt. no. 745	---	Village Boundary of Durgapur Kh.	Village Boundary of Pimparghane	Village Boundary of Dudhanoli	Gat no. 102, 140, 139, 97, 109, 96, 95, 98, 92.
39	Durgapur	29	---	Gat no. 28	Village Boundary of Madh	Village Boundary of Pimparghane	Village Boundary of Umbaroli Kh.
40	Madh	Forest Compt. no. 743, 744	---	Village Boundary of Rampur	Village Boundary of Done	Forest Compt. no. 121	Gat no. 57, 54, 56
41	Rampur	Forest Compt. no. 743	---	Forest Compt. no. 742	Village Boundary of Hatvij	Village Boundary of Madh	Gat no. 115
		Forest Compt. no. 742	---	Forest Compt. no. 741	Village Boundary of Hatvij and Bhivade bk.	Forest Compt. no. 743	Gat no. 76, 81, 80
		Forest Compt. no. 741	---	Village Boundary of Palu	Village Boundary of Bhivade bk.	Forest Compt. no. 742	Gat no. 30
42	Palu	Forest Compt. no. 740		Gat no. 275, 175, 276, 144, 277	Forest Compt. no. 739	Village Boundary of Bhivade bk.	Forest Compt. no. 741
		Forest Compt. no. 739		Gat no. 178	Village Boundary of Phangul gavhan	Village Boundary of Amboli	Forest Compt. no. 740

ANNEXURE-IIA

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BHIMASHANKAR WILDLIFE SANCTUARY

Point Id	Latitude	Longitude
A	N 19° 12' 35.80"	E 73° 36' 45.85"
B	N 19° 12' 54.35"	E 73° 37' 24.17"
C	N 19° 08' 28.17"	E 73° 36' 32.33"
D	N 19° 10' 28.96"	E 73° 32' 53.21"
E	N 19° 07' 41.02"	E 73° 37' 23.71"
F	N 19° 07' 36.39"	E 73° 34' 51.35"
G	N 19° 05' 02.83"	E 73° 35' 21.52"
H	N 19° 02' 23.42"	E 73° 35' 02.65"
I	N 19° 00' 47.98"	E 73° 33' 13.91"
J	N 19° 00' 41.39"	E 73° 32' 50.49"
K	N 19° 00' 59.85"	E 73° 32' 18.35"
L	N 19° 01' 50.44"	E 73° 31' 59.36"
M	N 19° 02' 51.61"	E 73° 32' 25.53"
N	N 19° 02' 45.30"	E 73° 30' 53.53"
O	N 19° 05' 04.96"	E 73° 31' 40.36"
P	N 19° 07' 46.52"	E 73° 31' 31.50"
Q	N 19° 07' 40.62"	E 73° 29' 51.64"
R	N 19° 08' 43.73"	E 73° 29' 16.63"
S	N 19° 10' 51.88"	E 73° 30' 18.13"
T	N 19° 10' 57.39"	E 73° 30' 45.15"
U	N 19° 12' 04.14"	E 73° 31' 54.07"
V	N 19° 11' 20.34"	E 73° 33' 52.01"
W	N 19° 17' 35.07"	E 73° 36' 32.18"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point Id	Latitude	Longitude
01	N 19° 13' 09.2"	E 73° 40' 07.8"
02	N 19° 12' 58.3"	E 73° 38' 55.9"
03	N 19° 12' 31.1"	E 73° 38' 26.2"
04	N 18° 59' 55.4"	E 73° 35' 23.1"
05	N 18° 59' 17.8"	E 73° 36' 06.4"
06	N 18° 58' 57.4"	E 73° 35' 53.5"
07	N 19° 1' 57"	E 73° 31' 58"
08	N 19° 1' 58"	E 73° 27' 30"
09	N 19° 4' 00"	E 73° 27' 30"
10	N 19° 5' 10"	E 73° 29' 58"
11	N 19° 7' 58"	E 73° 31' 30"
12	N 19° 8' 53.20"	E 73° 28' 49.08"
13	N 19° 10' 20.24"	E 73° 30' 7.56"
14	N 19° 12' 18.65"	E 73° 32' 2.65"

15	N 19° 11' 42.00"	E 73° 33' 3.42"
16	N 19° 12' 17.78"	E 73° 35' 5.60"
17	N 19° 13' 48.54"	E 73° 37' 59.56"
18	N19° 15' 16.9"	E73° 39' 13.9"
19	N19° 16' 22.4"	E73° 42' 33.7"
20	N19° 14' 03.2"	E73° 42' 52.5"

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BHIMASHANKAR
WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Point id	Village	Latitude (N)	Longitude (E)	Point id	Village	Latitude (N)	Longitude (E)
I	Bhiwade Bk.	19 14 06.19	73 40 15.85	XXIII	Khandas	19 03 56.38	73 29 50.85
II	Bhiwade kh.	19 12 35.00	73 40 56.52	XXIV	Nandgaon	19 66 69.34	73 29 40.56
III	Hatvij	19 12 45.61	73 39 20.73	XXV	Balivare	19 66 69.34	73 29 40.56
IV	Don	19 11 73.82	73 38 19.05	XXVI	Dongarnhave	19 08 58.73	73 28 49.67
V	Aghane	19 10 0.50	73 37 0.49	XXVII	Jamburde	19 09 45.33	73 29 08.57
VI	Nhaved	19 09 44.68	73 36 33.15	XXVIII	Khanivare	19 10 26.47	73 29 45.58
VII	Tirpad	19 10 28.31	73 38 51.58	XXIX	Sakurli	19 11 09.86	73 29 29.66
VIII	Nanawade	19 09 00.78	73 38 09.47	XXX	Narivali	19 11 15.75	73 30 33.74
IX	Mahalunge Tarf Ambegaon	19 07 0.477	73 37 0.390	XXXI	Uchale	19 12 00.99	73 31 16.02
X	Pimpri	19 07 07.16	73 36 41.31	XXXII	Dehari	19 12 21.53	73 31 57.16
XI	Terungan	19 06 54.4	73 34 49.00	XXXIII	Khopivali	19 12 17.87	73 32 59.40
XII	Bhivegaon	19 03 13.66	73 35 19.92	XXXIV	Milhe	19 12 35.01	73 33 44.52
XIII	Bhomale	19 01 08.87	73 35 19.88	XXXV	Dudhanoli	19 12 35.01	73 33 44.52
XIV	Kharpud	18 59 45.36	73 35 19.91	XXXVI	Umroli Kh.	19 12 48.21	73 35 51.80
XV	Jambrung	19 00 50.64	73 31 48.46	XXXVII	Durgapur	19 12 48.21	73 35 51.80
XVI	Rajape	19 02 00.35	73 31 16.47	XXXVIII	Madh	19 13 50.77	73 37 11.03
XVII	Tembhare	19 01 54.24	73 30 11.80	XXXIX	Rampur	19 14 21.7	73 37 21.0
XVIII	Singdhol	19 01 51.54	73 29 29.91	XL	Palu	19 15 40.8	73 38 40.8
XIX	Dhotre	19 01 24.86	73 28 25.20	XLI	Phangul Gavhan	19 15 50.7	73 42 38.7
XX	Shilar	19 01 37.52	73 27 22.86	XLII	Amboli	19 13 42.0	73 42 08.9
XXI	Pathraj	19 03 00.73	73 27 22.96				
XXII	Ambherpada	19 03 01.79	73 30 55.18				

ANNEXURE -V**Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.